

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,  
मुख्य सचिव,  
30प्र0 शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, 30प्र0 शासन।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4-प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

**आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु०-1**

**लखनऊ: दिनांक 19 नवम्बर, 2024**

विषय:-दूरसंचार विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर, 2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दूरसंचार विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर, 2024 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2016 को "इण्डियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स 2016" निर्गत किये गये हैं, जो देश में दूरसंचार के क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना एवं विकास हेतु समयबद्ध रूप से, राइट ऑफ वे अनुमोदन प्रदान किये जाने की प्रक्रिया से सम्बन्धित है। भारत सरकार की उक्त अधिसूचना को प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-852/78-1-2018-45आई0टी0/2016, दिनांक 15 जून, 2018 द्वारा अंगीकृत करते हुये दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3- उक्त अधिसूचना दिनांक 15-11-2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम 2016 में भारत सरकार द्वारा 5जी रोलआउट के क्रियान्वयन की महत्ता के दृष्टिगत आवश्यक बिन्दुओं को समाहित करते हुए अधिसूचना दिनांक 17 अगस्त, 2022 द्वारा कतिपय संशोधन किये गये हैं, जिन्हें आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या-17/2023/1305/78-1-2023/45आई0टी0/2016, दिनांक 10 अगस्त, 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश में अंगीकृत किया गया।

4- इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15-11-2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के नियम-2016 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07 अगस्त, 2023 को राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-516/78-1-2024-1099/418/2019, दिनांक 01 अप्रैल, 2024 के माध्यम से उत्तर प्रदेश में पुनः अंगीकृत किया गया है।

5- तत्कम में संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम 2024 हेतु अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर, 2024 को निर्गत की गई है, जो 01 जनवरी, 2025 से प्रवृत्त होंगे, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बिन्दु समाहित किये गये हैं:-

(1) प्रत्येक सार्वजनिक इकाई इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर इन नियमों के प्रयोजनों के लिये पोर्टल पर अपना नोडल अधिकारी निर्दिष्ट करेगी और

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

ऐसे अधिकारी के किसी प्रतिस्थापना को भी सम्बन्धित सार्वजनिक इकाई द्वारा ऐसे प्रतिस्थापना के सात दिनों की अवधि के भीतर पोर्टल पर निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) यदि किसी सुविधा प्रदाता को आवेदन करने के लिये सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता होती है:-

(क) सुविधा प्रदाता ऐसे सर्वेक्षण करने की अनुमति प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित सार्वजनिक इकाई द्वारा पोर्टल पर दिये गये प्रारूप और रीति से आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(ख) सार्वजनिक इकाई ऐसे आवेदन की प्राप्ति के 07 (सात) दिनों के भीतर ऐसे सर्वेक्षण के लिये अनुमति प्रदान करेगी और ऐसी अनुमति प्रदान करने के लिये सुविधा प्रदाता से कोई शुल्क नहीं लेगी जैसा कि अनुसूची के भाग-1 में निर्दिष्ट किया गया है।

(3) सार्वजनिक इकाई द्वारा अनुमति को अस्वीकृत किये जाने पर सार्वजनिक इकाई के अधीन भुगतान किये गये शुल्क का 90% (नब्बे प्रतिशत) अस्वीकृति की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि के भीतर सुविधा प्रदाता को वापस करेगी।

(4) यदि सार्वजनिक इकाई के पास मार्ग के अधिकार की अनुमति को अस्वीकृत करने के कारण हैं, तो वह आवेदन प्राप्त होने के 45 (पैंतालीस) दिनों की अवधि के भीतर ऐसे कारणों को पोर्टल पर अपलोड करेगी और सुविधा प्रदाता उस दिन से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर पोर्टल पर ऐसे कारणों पर प्रतिक्रिया देगा।

6- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दूरसंचार विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर, 2024 को उत्तर प्रदेश में पूर्णतः लागू किये जाने के संबंध में अपने अधीनस्थ अधिकारियों/संस्थाओं को निर्देशित करने का कष्ट करें।

**संलग्नक: यथोक्त।**

भवदीय,  
मनोज कुमार सिंह  
मुख्य सचिव।

http://s

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18092024-257202  
CG-DL-E-18092024-257202

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 534]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 17, 2024/भाद्र 26, 1946

No. 534]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 17, 2024/BHADRA 26, 1946

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 576(अ).— दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम, 2024 का प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार धारा 11 की उप-धारा (3) के साथ पठित, धारा 12 की उप-धारा (5) और (6) के साथ पठित, धारा 15 की उप-धारा (2) के साथ पठित, धारा 17 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित, दूरसंचार अधिनियम, 2024 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (ड), (ण), (त), (थ), (द) और (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों द्वारा बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 373(अ), तारीख 9 जुलाई, 2023 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 10 जुलाई, 2024 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 10 जुलाई, 2024 को जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विधिवत रूप से विचार किया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 11 की उप-धारा (3) के साथ पठित, धारा 12 की उप-धारा (5) और (6) के साथ पठित, धारा 15 की उप-धारा (2) के साथ पठित, धारा 17 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित, धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (ढ), (ण), (त), (थ), (द) और (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 और भारतीय तार (अवसंरचना सुरक्षा) नियम, 2022 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है और उन नियमों के अधीन प्रदान किए गए मार्ग के अधिकार से संबंधित विद्यमान अनुमतियों के निबंधन और शर्तों को अध्यारोहित किए बिना, जो ऐसी अनुमतियों की समाप्ति की तारीख तक लागू रहेंगी, अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

### अध्याय 1: प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम, 2024 है।

(2) ये तारीख 01 जनवरी, 2025 से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;

(ख) "कॉमन डक्ट्स" अथवा "कॉडुइट्स" अथवा "केवल कॉरिडोर" से अलग-अलग अथवा सामूहिक रूप से दूरसंचार लाइनों सहित हाउसिंग यूटिलिटी लाइनों के लिए किसी भी आकार की कोई लिनियर अवसंरचना अभिप्रेत है;

(ग) "अभिहीत प्राधिकारी" से इन नियमों के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अभिहीत प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "डक्ट" से स्थायी रूप से ल्यूब्रिकेट की गई अथवा किसी अन्य प्रकार की पाइप अभिप्रेत है जिसका उपयोग दूरसंचार लाइन के लिए भूमिगत केबल कॉडुइट के रूप में किया जाता है;

(ङ) "अप्रत्याशित घटना" से निम्नलिखित घटनाएं अभिप्रेत हैं:

(i) युद्ध अथवा संघर्ष;

(ii) व्यापक दंगे अथवा नागरिक उपद्रव;

(iii) भूकंप, बाढ़, तूफान, वज्रपात अथवा अन्य प्राकृतिक भौतिक आपदाएँ; और

(iv) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध।

(च) "मोबाइल टावर" से भूमि के ऊपर का कोई भी साधन अभिप्रेत है, जिसमें वह संरचना भी शामिल है जिसे हटाया जा सकता है और किसी अन्य स्थान पर पुनः जोड़ा जा सकता है, जिसका उपयोग दूरसंचार नेटवर्क को संप्रेषित करने, लटकाने अथवा समर्थन देने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें खंभा शामिल नहीं है;

(छ) "नोडल अधिकारी" से संबंधित सार्वजनिक इकाई का नोडल अधिकारी अभिप्रेत है जो ऐसी सार्वजनिक इकाई की ओर से इन नियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है, जैसा की नियम 4 में निर्दिष्ट किया गया है;

(ज) "ओवरग्राउंड दूरसंचार नेटवर्क" से भूमि के ऊपर स्थापित दूरसंचार नेटवर्क अथवा दूरसंचार उपकरण के भाग अभिप्रेत हैं और इसमें दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना अथवा अनुरक्षण के उद्देश्य से पोर्टेबल दूरसंचार

अवसंरचना, पोस्ट, मोबाइल टावर, दूरसंचार लाइन अथवा जमीन के ऊपर का अन्य साधन, उपकरण और उपस्कर सम्मिलित हैं;

- (झ) "पोल" से दूरसंचार नेटवर्क को संप्रेषित करने, लटकाने अथवा समर्थन देने के लिए मास्ट सहित तेरह मीटर तक की ऊंचाई का जमीन के ऊपर की कोई भी संरचना अभिप्रेत है परंतु इसमें मोबाइल टावर सम्मिलित नहीं है;
- (ञ) "पोर्टल" से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाने वाला पोर्टल अभिप्रेत है जिसमें विभिन्न सार्वजनिक इकाइयों के एक या अधिक डिजिटल पोर्टलों के लिंक सम्मिलित होंगे;
- (ट) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ठ) "स्मॉल सेल" से सेलुलर रेडियो एक्सेस नोड अभिप्रेत है जिसकी कवरेज दो किलोमीटर की दूरी तक है;
- (ड) "स्ट्रीट फर्नीचर" से बिजली के लिए उपयोग किया जाने वाला कोई भी पोस्ट अथवा पोल, स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक साइन, बस स्टॉप, ट्राम स्टॉप, टैक्सी स्टैंड, सार्वजनिक शौचालय, स्मारक, सार्वजनिक मूर्ति, यूटिलिटी पोल, मेट्रो लाइंस और पिलर्स, साइन बोर्ड्स, होर्डिंग्स, किओस्कस अथवा सार्वजनिक इकाई की संपत्ति पर स्थापित इस तरह की कोई अन्य संरचना अथवा साधन अभिप्रेत है;
- (ढ) "दूरसंचार लाइन" से दूरसंचार के प्रयोजन से उपयोग किया जाने वाला कोई तार अथवा तारें, अथवा ऑप्टिकल फाइबर, जिसके चारों ओर कोई आवरण, कोटिंग, ट्यूब अथवा पाइप हो, और उसे ठीक करने अथवा इन्सुलेट करने के उद्देश्य से उससे जुड़े कोई भी उपकरण और उपस्कर अभिप्रेत है;
- (ण) "भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क" से भूमि के नीचे बिछाए गए दूरसंचार नेटवर्क अथवा दूरसंचार उपकरण के भाग अभिप्रेत हैं और इसमें दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना अथवा अनुरक्षण के प्रयोजनों के लिए डक्ट्स, मैनहोल, मार्कर स्टोन, हैंडहोल, सबमरीन केबल्स, दूरसंचार लाइन, उपकरण और उपस्कर सम्मिलित हैं।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमशः उस अधिनियम में हैं।

**3. लागू होना—** (1) ये नियम दूरसंचार नेटवर्क के लिए मार्ग के अधिकार की अनुमतियों पर लागू होंगे।

(2) कोई भी सार्वजनिक इकाई दूरसंचार नेटवर्क के लिए मार्ग के अधिकार की मांग करने वाले किसी भी सुविधा प्रदाता द्वारा किए गए आवेदन पर इन नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेगी।

(3) इन नियमों के अधीन सभी आवेदन, अधिसूचनाएं, स्पष्टीकरण, अनुमतियां, आपत्तियां अथवा अस्वीकृतियां, इन नियमों के अधीन निर्दिष्ट सीमा के अनुसार पोर्टल के माध्यम से की जाएंगी।

**4. सार्वजनिक इकाई नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी —** प्रत्येक सार्वजनिक इकाई इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर इन नियमों के प्रयोजनों के लिए पोर्टल पर अपना नोडल अधिकारी निर्दिष्ट करेगी और ऐसे अधिकारी के किसी प्रतिस्थापन को भी संबंधित सार्वजनिक इकाई द्वारा ऐसे प्रतिस्थापन के सात दिनों की अवधि के भीतर पोर्टल पर निर्दिष्ट किया जाएगा।

**5. मार्ग के अधिकार के लिए अनुमति का नवीकरण और वैधता —** (1) इन नियमों के अधीन अंतर्निहित दूरसंचार नेटवर्क के संबंध में किसी सुविधा प्रदाता को दी गई मार्ग के अधिकार की अनुमति, जब तक कि ऐसी अनुमति इन नियमों के अनुसार समाप्त नहीं कर दी जाती है।

क) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए प्राधिकार अथवा अनुज्ञप्ति अथवा ऐसे प्राधिकार अथवा अनुज्ञप्ति से छूट की अवधि, जैसा भी मामला हो, के साथ-साथ वैध रहेंगे; और

- ख) किसी नवीनीकृत प्राधिकार अथवा अनुज्ञप्ति की अवधि के लिए अथवा किसी नवीनीकृत प्राधिकार अथवा अनुज्ञप्ति से छूट की अवधि के लिए वैध बने रहेंगे, जिसे उस सरकार द्वारा दूरसंचार अधिनियम 2023 (2023 का 44) अथवा भारतीय तार अधिनियम, 1885, (1885 का 13) अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार नवीनीकृत किया गया हो, या जैसा भी मामला हो, छूट दी गई हो।

## अध्याय 2

### सार्वजनिक संपत्ति में भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन और अनुरक्षण

6. सुविधा प्रदाता द्वारा आवेदन — (1) भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन अथवा अनुरक्षण के प्रयोजनों के लिए किसी सार्वजनिक संपत्ति में मार्ग का अधिकार चाहने वाले सुविधा प्रदाता को, संबंधित सार्वजनिक इकाई, जिसके पास ऐसी सार्वजनिक संपत्ति पर स्वामित्व, नियंत्रण अथवा प्रबंधन है, द्वारा पोर्टल पर दिए गए प्रारूप और रीति और साथ ही उप-नियम (3) के अधीन निर्दिष्ट सहायक दस्तावेजों के साथ, ऐसे प्रारूप और रीति जैसा कि उस सार्वजनिक इकाई द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(2) यदि किसी सुविधा प्रदाता को उप-नियम (1) के अधीन आवेदन करने के लिए सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता होती है, तो:

- (क) सुविधा प्रदाता ऐसे सर्वेक्षण करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए संबंधित सार्वजनिक इकाई द्वारा पोर्टल पर दिए गए प्रारूप और रीति से आवेदन प्रस्तुत करेगा; और
- (ख) सार्वजनिक इकाई ऐसे आवेदन की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर ऐसे सर्वेक्षण के लिए अनुमति प्रदान करेगी और ऐसी अनुमति प्रदान करने के लिए सुविधा प्रदाता से कोई शुल्क नहीं लेगी जैसा कि अनुसूची के भाग-1 में निर्दिष्ट किया गया है।

(3) उप-नियम (1) के अधीन किए गए आवेदन में सुविधा प्रदाता द्वारा पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सूचना में सहायक दस्तावेज सम्मिलित होंगे-

- (क) दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) के अधीन प्राधिकार, अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के अधीन अनुज्ञप्ति, अथवा ऐसे प्राधिकार अथवा अनुज्ञप्ति से छूट की एक प्रति, जैसा भी मामला हो;
- (ख) बिछाए जाने वाले प्रस्तावित भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क का ब्यौरा;
- (ग) यदि मार्ग का अधिकार विद्यमान दूरसंचार नेटवर्क से संबंधित है तो ऐसे दूरसंचार नेटवर्क के निर्मित रेखाचित्रों की प्रति;
- (घ) कार्य के निष्पादन की विधि और अनुमानित अवधि का ब्यौरा;
- (ङ) उस दिन के अनुमानित समय का ब्यौरा जब कार्य किए जाने की अपेक्षा है, यदि सुविधा प्रदाता को 'दिन के विशिष्ट समय के दौरान कार्य किए जाने की अपेक्षा है;
- (च) उन अनुमानित व्ययों का ब्यौरा जो सुविधा प्रदाता द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य के परिणामस्वरूप ऐसी सार्वजनिक इकाई को उठाना पड़ेगा;
- (छ) सर्वसाधारण को होने वाली असुविधा का ब्यौरा और ऐसी असुविधा को कम करने के लिए किए जाने वाले विशिष्ट उपाय;

- (ज) कार्य के निष्पादन के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले विशिष्ट उपायों का ब्यौरा;
- (झ) ऐसे नेटवर्क के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए स्थापित किए जाने वाले दूरसंचार नेटवर्क तक पहुंच से संबंधित सुविधा प्रदाता की आवश्यकता का ब्यौरा;
- (ञ) किए गए आवेदन के संबंध में पत्राचार के प्रयोजनों के लिए सुविधा प्रदाता के कर्मचारियों के नाम और संपर्क का ब्यौरा; और
- (ट) सुविधा प्रदाता की राय में, प्रस्तावित कार्य से संबंधित अथवा उससे संबंधित, सुसंगत किसी अन्य मामले का ब्यौरा।

(4) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ शुल्क का भुगतान किया जाएगा जैसा कि इन नियमों की अनुसूची के भाग-1 में निर्दिष्ट किया गया है:

परंतु केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी परियोजना से संबंधित किसी भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क से संबंधित मार्ग के अधिकार के लिए कोई शुल्क, प्रभार, किराया, वार्षिकी, अथवा किसी भी रूप में कोई अन्य वित्तीय लेवी अथवा अंशदान अथवा मुआवजा, नहीं लिया जाएगा।

**7. सार्वजनिक इकाई द्वारा अनुमति प्रदान करना —** (1) नियम 6 के उप-नियम (1) के अधीन प्राप्त आवेदन की जांच करने पर, सार्वजनिक इकाई:

(क) ऐसे आवेदन की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर पोर्टल के माध्यम से स्पष्टीकरण अथवा अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकती है, जैसा कि अपेक्षित हो:

परंतु सार्वजनिक इकाई ऐसे सभी स्पष्टीकरण और अतिरिक्त दस्तावेज, यदि कोई हो, एक समेकित मांग पत्र में मांगेगी; और

(ख) आवेदन प्राप्त होने की तारीख से सड़सठ दिनों की अवधि के भीतर अनुमति प्रदान करेगा, अथवा उप-नियम (3) और उप-नियम (4) में निर्दिष्ट रीति से आगे बढ़ेगा।

(2) सार्वजनिक इकाई द्वारा दी गई अनुमति में:

(क) यह सुनिश्चित करना कि भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क का क्षेत्र अथवा क्रॉस-सेक्शन जिसके लिए मार्ग का अधिकार प्रदान किया गया है, डक्ट की लंबाई गुणन डक्ट के व्यास तथा डक्ट की संख्या गुणन के बराबर होगा; और

(ख) यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि क्या अनुमति उप-नियम (9) के साथ पठित उप-नियम (8) के खंड (क) के अधीन संपत्ति की पुनर्स्थापना के लिए वचनबद्धता और बैंक गारंटी, अथवा उप-नियम (8) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी भी नुकसान के लिए मुआवजा के अधीन है; और

(ग) सार्वजनिक असुविधा को कम करने अथवा सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए समय और उपाय, मार्ग के अधिकार के निष्पादन की रीति और इस प्रकार स्थापित दूरसंचार नेटवर्क के प्रचालन और अनुरक्षण आवश्यकताओं संबंधी शर्तों सहित अन्य शर्तों को निर्दिष्ट किया जाएगा:

परंतु सार्वजनिक इकाई नियम (6) के उप-नियम (3) के खंड (घ) के अधीन सुविधा प्रदाता द्वारा निर्दिष्ट निष्पादन की रीति पर उचित विचार करेगी।

(3) यदि सार्वजनिक इकाई के पास मार्ग के अधिकार की अनुमति को अस्वीकृत करने के कारण हैं, तो वह आवेदन प्राप्त होने के पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसे कारणों को पोर्टल पर अपलोड करेगी और सुविधा प्रदाता उस दिन से पंद्रह दिनों के भीतर पोर्टल पर ऐसे कारणों पर प्रतिक्रिया देगा।

(4) सार्वजनिक इकाई उप-नियम (3) के अधीन सुविधा प्रदाता के प्रत्युत्तर पर समुचित विचार करने के पश्चात मार्ग के अधिकार के लिए आवेदन को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का विनिश्चय करेगी तथा सात दिनों की अवधि के भीतर पोर्टल पर अपना निर्णय अपलोड करेगी;

परंतु मार्ग के अधिकार के लिए अनुमति को अस्वीकृत करने वाले किसी भी निर्णय में अस्वीकृति के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

(5) सार्वजनिक इकाई द्वारा अनुमति को अस्वीकृत किए जाने पर सार्वजनिक इकाई नियम 6 के उप-नियम (4) के अधीन भुगतान किए गए शुल्क का नब्बे प्रतिशत अस्वीकृति की ऐसी तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर सुविधा प्रदाता को वापस करेगी।

(6) यदि सार्वजनिक इकाई इस नियम के अधीन निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अनुमति देने अथवा अस्वीकार करने में विफल रहती है तो अनुमति प्रदान की गई मानी जाएगी और ऐसी सिस्टम जनित प्रदान की गई अनुमति पोर्टल पर स्वचालित रूप से अपलोड हो जाएगी।

(7) उप-नियम (6) के अधीन जारी की गई प्रदान की गई अनुमति के मामलों में, सार्वजनिक इकाई सात दिनों की अवधि के भीतर पोर्टल के माध्यम से ऐसी प्रदान की गई अनुमति के निबंधन और शर्तें तैयार करेगी, जो उप-नियम (2) के अधीन सिद्धांतों पर आधारित होंगी।

(8) मार्ग के अधिकार से संबंधित कार्यों के परिणामस्वरूप संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करने के लिए, सुविधा प्रदाता, सार्वजनिक इकाई के विकल्प पर:

(क) ऐसी संपत्ति की उस स्थिति में पुनर्स्थापना करेगा, जैसी वह ऐसे कार्यकलापों के निष्पादन से पहले विद्यमान थी; अथवा

(ख) पारस्परिक सहमति से ऐसी क्षति के लिए मुआवजा का भुगतान करें जो अनुसूची के भाग-2 में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक न हो।

(9) सार्वजनिक इकाई उप-नियम (8) के उप-खंड (क) के अधीन सुविधा प्रदाता द्वारा उन मामलों में संपत्ति के पुनर्स्थापन की मांग कर सकती है जहां अनुमति प्रदान की गई है,:

(क) पोर्टल पर उपलब्ध प्रपत्र में विनिर्दिष्ट वचनबद्धता का उपबंध; और

(ख) सुविधा प्रदाता द्वारा अनुमति में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्य के निष्पादन के लिए सुरक्षा के रूप में अनुसूची के भाग-2 में विनिर्दिष्ट राशि से अनधिक राशि की बैंक गारंटी।

(10) सुविधा प्रदाता, परिसंपत्ति के पुनर्स्थापन के पूर्ण होने पर, पोर्टल पर ऐसे कार्य के पूरा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, जिस पर विचार करने के बाद सार्वजनिक इकाई ऐसे प्रस्तुतीकरण से तीस दिनों की अवधि के भीतर सुविधा प्रदाता को उप-नियम (10) के खंड (ख) के अधीन प्रदान की गई बैंक गारंटी वापस करेगी।

(11) सार्वजनिक इकाई ओवरग्राउंड दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन या अनुरक्षण के लिए इन नियमों के अधीन अनुमत के अलावा किसी भी रूप में कोई शुल्क, फीस, मुआवजा या प्रवेश शुल्क नहीं लगाएगी या किसी भी अन्य वित्तीय अंशदान की मांग नहीं करेगी।

(12) इस नियम के अधीन किसी भी अनुमति के अनुसरण में कार्यों के निष्पादन के लिए विनिर्दिष्ट समय-सीमा, सार्वजनिक इकाई द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किसी भी अप्रत्याशित घटना की अवधि तक बढ़ाई जाएगी।



## अध्याय 3

## सार्वजनिक संपत्ति में ओवरग्राउंड दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन और अनुरक्षण

8. सुविधा प्रदाता द्वारा आवेदन.—(1) किसी सार्वजनिक संपत्ति में भूमि के ऊपर दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन या रखरखाव के प्रयोजन के लिए मार्ग का अधिकार मांगने वाला सुविधा प्रदाता, संबंधित सार्वजनिक इकाई, जिसके पास ऐसी सार्वजनिक संपत्ति पर स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन है, द्वारा पोर्टल पर दिए गए प्रारूप और रीति से आवेदन के साथ ही उप-नियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट सहायक दस्तावेज भी प्रस्तुत करेगा।

(2) जहाँ सुविधा प्रदाता को उप-नियम (1) के अधीन आवेदन करने के लिए सर्वेक्षण कराने की अपेक्षा होती है, तो:

(क) सुविधा प्रदाता ऐसे सर्वेक्षण के संचालन की अनुमति के लिए सार्वजनिक इकाई द्वारा पोर्टल पर दिए गए प्रारूप और रीति से आवेदन प्रस्तुत करेगा; और

(ख) सार्वजनिक इकाई ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर ऐसे सर्वेक्षण के लिए अनुमति प्रदान करेगी और ऐसी अनुमति प्रदान करने के लिए सुविधा प्रदाता से, अनुसूची के भाग-1 में यथाविनिर्दिष्ट, कोई शुल्क नहीं लेगी।

(3) उप-नियम (1) के अधीन किए गए आवेदन में सुविधा प्रदाता द्वारा पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सूचना के साथ सहायक दस्तावेज सम्मिलित होंगे-

(क) दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) के अधीन प्राधिकार की एक प्रति या केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के अधीन दिए गए अनुज्ञप्ति या ऐसे प्राधिकार अथवा अनुज्ञप्ति से छूट, जैसा भी मामला हो;

(ख) स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित पोस्ट, मोबाइल टावर, पोर्टेबल दूरसंचार अवसंरचना या अन्य भूमि के ऊपर के उपकरणों की प्रकृति और सही अक्षांश एवं देशांतर सहित स्थान का विवरण;

(ग) ओवरग्राउंड दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि या फर्श क्षेत्र की सीमा का विवरण;

(घ) ओवरग्राउंड दूरसंचार लाइन के लिए रूट प्लान का विवरण, यदि कोई हो;

(ङ) भवन या संरचना या स्थान का विवरण जहाँ ओवरग्राउंड दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना प्रस्तावित है;

(च) रेडियो तरंगों या हर्ट्जियन तरंगों के प्रसारण के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रस्तावित भूमि के ऊपर साधनों के स्थान के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुमोदन की प्रति;

(छ) कार्य के निष्पादन की विधि और अनुमानित समयावधि का विवरण;

(ज) सर्वसाधारण को होने वाली असुविधा का विवरण और ऐसी असुविधा को कम करने के लिए उठाए जाने वाले विशिष्ट उपाय;

(झ) कार्य के निष्पादन के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित विशिष्ट उपायों का विवरण;

(ञ) ऐसे नेटवर्क को संचालित करने और जारी रखने के लिए स्थापित किए जाने वाले दूरसंचार नेटवर्क तक पहुंच के लिए सुविधा प्रदाता की आवश्यकताओं का विवरण;

(ट) पोस्ट या भूमि के ऊपर के अन्य उपकरणों के तकनीकी डिजाइन और रेखाचित्रों का विवरण;

(ठ) जहाँ लागू हो, सार्वजनिक इकाई द्वारा अधिकृत संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा तकनीकी डिजाइन के प्रमाणीकरण की एक प्रति, जो ओवरग्राउंड दूरसंचार नेटवर्क की संरचनात्मक सुरक्षा को प्रमाणित करती हो;

(ड) जहां लागू हो, सार्वजनिक इकाई द्वारा अधिकृत संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा प्रमाणीकरण की एक प्रति, जो उस भवन की संरचनात्मक सुरक्षा को प्रमाणित करती हो जिस भवन पर यदि पोस्ट या भूमि के ऊपर के अन्य उपकरण स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ड) किए गए आवेदन के संबंध में सूचना के प्रयोजनों के लिए सुविधा प्रदाता के कर्मचारियों के नाम और संपर्क विवरण;

(ण) सुविधा प्रदाता की राय में, प्रस्तावित कार्य से संबंधित किसी अन्य प्रासंगिक मामले का विवरण;

परंतु मार्ग के अधिकार केवल ओवरग्राउंड दूरसंचार लाइन की स्थापना से संबंधित होने पर खंड (ख), (ग), (ड), (च), (ट), (ठ) और (ड) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की अपेक्षा नहीं होगी;

(4) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ शुल्क का भुक्तान किया जायेगा जैसा कि अनुसूची के भाग-1 में विनिर्दिष्ट किया गया है:

परंतु केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी परियोजना से संबंधित किसी भी ओवरग्राउंड दूरसंचार नेटवर्क से संबंधित मार्ग के अधिकार के लिए कोई शुल्क, प्रभार, किराया, वार्षिकी या किसी भी रूप में कोई अन्य वित्तीय लेवी या अंशदान या क्षतिपूर्ति लागू नहीं होगी।

**9. सार्वजनिक इकाई द्वारा अनुमति प्रदान करना**—(1) नियम 8 के उप नियम (1) अधीन प्राप्त आवेदन की जांच करने पर, सार्वजनिक इकाई :

(क) ऐसे आवेदन की प्राप्ति के तीस दिनों की अवधि के भीतर, पोर्टल के माध्यम से स्पष्टीकरण अथवा अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकती है, जैसा कि अपेक्षित हो:

परंतु सार्वजनिक इकाई ऐसे सभी स्पष्टीकरण और अतिरिक्त दस्तावेज, यदि कोई हो, एक समेकित मांगपत्र में मांगेगी; और

(ख) आवेदन प्राप्त होने की तारीख से सड़सठ दिवस की अवधि के भीतर अनुमति प्रदान करेगा या उप-नियम (3) और उप-नियम (4) में निर्दिष्ट रीति से आगे की कार्रवाई करेगा।

(2) सार्वजनिक इकाई द्वारा दी गई अनुमति में:

(क) यह सुनिश्चित करना कि स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित ओवरग्राउंड दूरसंचार नेटवर्क जिसके लिए मार्ग के अधिकार की स्वीकृति दी गई है, के क्षेत्र में दूरसंचार नेटवर्क और सहायक अवसंरचना द्वारा अधिगृहीत क्षेत्र सम्मिलित होगा।

**स्पष्टीकरण** : संदेह दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि:

जब मोबाइल टावर के लिए अनुमति मिल गई हो, तो ओवरग्राउंड दूरसंचार नेटवर्क के क्षेत्र में बेस ट्रांसीवर स्टेशन, इंजन अल्टरनेटर सहित मोबाइल टावर के साथ साथ भूतल पर ऐसे सहायक अवसंरचना सम्मिलित होंगे।

(ख) सार्वजनिक इकाई द्वारा अनुसूची के भाग-3 के अनुसार निर्धारित सुविधा प्रदाता द्वारा भुगतान की जाने वाली मुआवजे की राशि विनिर्दिष्ट करना; और

(ग) सार्वजनिक असुविधा को कम करने अथवा ओवरग्राउंड दूरसंचार नेटवर्क की संरचनात्मक सुरक्षा सहित सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए समय और उपाय के साथ-साथ मार्ग के अधिकार के निष्पादन की रीति और इस प्रकार स्थापित दूरसंचार नेटवर्क के प्रचालन और अनुरक्षण की आवश्यकताओं से संबंधित शर्तों के साथ अन्य शर्तों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा:

परंतु यह भी कि सार्वजनिक इकाई नियम (8) के उप-नियम (3) के खण्ड (छ) के अधीन सुविधा प्रदाता द्वारा विनिर्दिष्ट निष्पादन की रीति पर सम्यक विचार करेगी।

(3) जहाँ सार्वजनिक इकाई के पास मार्ग के अधिकार की अनुमति को अस्वीकृत करने के कारण हैं तो वह आवेदन प्राप्त होने के पैंतालीस दिनों के भीतर ऐसे कारणों को पोर्टल पर अपलोड करेगी और सुविधा प्रदाता पंद्रह दिनों के भीतर पोर्टल पर ऐसे कारणों पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

(4) सार्वजनिक इकाई उप-नियम (3) के अधीन सुविधा प्रदाता के उत्तर पर विचार करने के पश्चात मार्ग के अधिकार के लिए आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का विनिश्चय लेगी और इस विनिश्चय को पोर्टल पर सात दिनों की अवधि के भीतर अपलोड किया जाएगा।

परंतु मार्गाधिकार की अनुमति को अस्वीकृत करने वाले किसी भी विनिश्चय में अस्वीकृति के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

(5) सार्वजनिक इकाई द्वारा अनुमति अस्वीकृत किए जाने पर सार्वजनिक इकाई नियम 8 के उप-नियम (4) के अंतर्गत भुगतान किए गए शुल्क का नब्बे प्रतिशत अस्वीकृति की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर सुविधा प्रदाता को वापस करेगी।

(6) यदि सार्वजनिक इकाई इस नियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अनुमति देने या अस्वीकार करने में विफल रहती है तो अनुमति प्रदान की गई मानी जाएगी और यह प्रणाली जनित अनुमति स्वचालित रूप से पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी।

(7) सार्वजनिक इकाई उप-नियम (6) के अधीन प्रदान की गई अनुमति के मामलों में सात दिनों की अवधि के भीतर पोर्टल के माध्यम से ऐसी प्रदान की गई प्रणाली जनित अनुमति की निबंधन और शर्तें तैयार करेगी जो उपनियम (2) के सिद्धांतों पर आधारित होगी।

(8) सुविधा प्रदाता भूमि के ओवरग्राउंड अवसंरचना स्थापित करने के परिणामस्वरूप सार्वजनिक संपत्ति की किसी भी क्षति के लिए पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर मुआवजा देगा जो अनुसूची के भाग-2 में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होगी।

(9) सार्वजनिक इकाई, इन नियमों के अन्तर्गत अनुमत के अतिरिक्त, ओवरग्राउंड दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए किसी भी रूप में कोई शुल्क, प्रभार, किराया, वार्षिकी या मुआवजा या प्रवेश शुल्क नहीं लगाएगी या किसी भी रूप में कोई बैंक गारंटी या कोई अन्य वित्तीय अंशदान नहीं लेगी।

(10) इस नियम के अधीन किसी अनुमति के अनुसरण में कार्यों के निष्पादन के लिए विनिर्दिष्ट समय-सीमा सार्वजनिक इकाई द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किसी अप्रत्याशित घटना की अवधि तक बढ़ाई जाएगी।

**10. अस्थायी ओवरग्राउंड दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना-**(1) जहाँ सुविधा प्रदाता द्वारा प्रचालित और अनुरक्षित किसी विद्यमान ओवरग्राउंड या भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क को किसी भी कारण से कोई क्षति पहुंचती है तो ऐसे सुविधा प्रदाता दूरसंचार सेवाओं की शीघ्र पुनर्स्थापना के प्रयोजन से सार्वजनिक संपत्ति पर अस्थायी रूप से ओवरग्राउंड दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करेगा जिसके लिए वह पोर्टल के माध्यम से संबंधित सार्वजनिक इकाई जिसके पास ऐसी सार्वजनिक संपत्ति पर स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन है, को लिखित रूप में क्षति के विवरण सहित सूचना प्रदान करेगा।

परंतु किसी सार्वजनिक संपत्ति में ऐसे अस्थायी भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए सार्वजनिक इकाई से अनुमति लेना अपेक्षित नहीं है।

(2) सुविधा प्रदाता प्रभावित ओवरग्राउंड या भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क की पुनर्स्थापना साठ दिनों की अवधि के भीतर सुनिश्चित करेगा, परंतु सार्वजनिक इकाई को नुकसान की सूचना देने की तारीख से नब्बे दिनों के बाद नहीं।

(3) जहां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, सार्वजनिक हित में या विशेष सार्वजनिक आयोजनों के मामले में अस्थायी ओवरग्राउंड दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना की आवश्यकता निर्धारित करती है तो वह निर्देश जारी करेगी:

(क) ऐसे अस्थायी ओवरग्राउंड दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए प्राधिकृत इकाई को निम्नलिखित के संबंध में विवरण के साथ:

(i) ऐसे अपेक्षित दूरसंचार नेटवर्क का प्रकार;

(ii) सार्वजनिक इकाई द्वारा उपलब्ध कराया गया इसका स्थान; और

(iii) वह अवधि जिसके लिए ऐसे अस्थायी ओवरग्राउंड दूरसंचार नेटवर्क को जारी रखा जाना आवश्यक है; और

(ख) संबंधित सार्वजनिक इकाई को:

- (i) उस सार्वजनिक संपत्ति की पहचान करने के लिए जिस पर ऐसे अस्थायी ओवरग्राउंड दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना की जा सकती है; और
- (ii) ऐसे निर्देशों में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सुविधा प्रदाता को आवश्यक मार्ग के अधिकार की अनुमति प्रदान करना।

(4) प्राधिकृत इकाई और सार्वजनिक इकाई ऐसे अस्थायी ओवरग्राउंड दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना को आरम्भ करने के लिए उप-नियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट संबंधित निर्देशों का अनुपालन करेगी और सुविधा प्रदाता ऐसे निर्देशों के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के लिए इसे जारी रखेगा।

(5) यदि सुविधा प्रदाता उप-नियम (3) के अधीन निर्देशों के अनुसार स्थापित अस्थायी ओवरग्राउंड दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग ऐसे निर्देशों में विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक करना चाहता है तो उसे ऐसे उपयोग के लिए सार्वजनिक इकाई की अनुमति लेनी होगी और नियम 8 एवं नियम 9 के उपबंध यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(6) अनुसूची के भाग-3 में विनिर्दिष्ट अस्थायी ओवरग्राउंड दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए सार्वजनिक इकाई द्वारा किसी भी रूप में कोई शुल्क प्रभार, किराया, वार्षिकी या कोई बैंक गारंटी या अन्य वित्तीय उद्धरण या योगदान या मुआवजा नहीं लिया जाएगा।

**11. स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की स्थापना के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग।**—(1) किसी सार्वजनिक संपत्ति पर स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की स्थापना के प्रयोजन के लिए सुविधा प्रदाता अनुमति प्राप्त करने के लिए पोर्टल के माध्यम से संबंधित सार्वजनिक इकाई जिसके पास ऐसी सार्वजनिक संपत्ति पर स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन है, को आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसके साथ:

- (क) दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) के अधीन प्राधिकरण की एक प्रति, या भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा दिया गया अनुज्ञप्ति, या ऐसे प्राधिकरण या अनुज्ञप्ति से छूट, जैसा भी लागू हो;
- (ख) स्ट्रीट फर्नीचर का विवरण; और
- (ग) सार्वजनिक इकाई द्वारा प्राधिकृत संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा सत्यापन की एक प्रति जो स्ट्रीट फर्नीचर की संरचनात्मक सुरक्षा को प्रमाणित करती है जिस पर छोटे सेल और दूरसंचार लाइन की स्थापना प्रस्तावित है।

(2) सुविधा प्रदाता, अपने विकल्प पर उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट जानकारी के साथ एकल या एकाधिक साइटों के लिए स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइनों की स्थापना के लिए पोर्टल के माध्यम से एकल आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और सार्वजनिक इकाई ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर एकल या एकाधिक, जैसा भी मामला हो, अनुमति जारी करेगा।

(3) अनुसूची के भाग-1 में यथा विनिर्दिष्ट उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन आवेदन पर किसी भी रूप में कोई शुल्क, प्रभार, किराया, वार्षिकी या कोई अन्य वित्तीय उद्धरण, बैंक गारंटी या अन्य वित्तीय अंशदान या मुआवजा नहीं लिया जाएगा।

(4) उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन प्राप्त आवेदन की जांच करने पर, सार्वजनिक इकाई:

(क) ऐसे आवेदन की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर पोर्टल के माध्यम से कोई भी स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेज जैसा कि अपेक्षित हो कि मांग करें:

परंतु सार्वजनिक इकाई ऐसे सभी स्पष्टीकरण और अतिरिक्त दस्तावेज, यदि कोई हों, तो एक समेकित मांग में मांगेगी; और (ख) आवेदन प्राप्त होने की तारीख से सड़सठ दिनों की अवधि के भीतर अनुमति दी जाएगी अथवा उप-नियम (5) और उप-नियम (6) में विनिर्दिष्ट रीति से कार्यवाही की जाएगी।

(5) यदि सार्वजनिक इकाई के पास उप-नियम (1) अथवा उप-नियम (2) के अधीन किए गए आवेदन को अस्वीकार करने का कारण है तो वह आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर पोर्टल पर ऐसे कारण अपलोड करेगी और सुविधा प्रदाता ऐसे कारणों के संदर्भ में पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर पोर्टल पर उत्तर दे सकता है।

(6) सार्वजनिक इकाई उप-नियम (5) के अधीन सुविधा प्रदाता के प्रत्युत्तर पर समुचित विचार करने के पश्चात् आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का विनिश्चय कर सकती है और उसे पोर्टल पर अपलोड कर सकती है:

परंतु अनुमति को अस्वीकार करने वाले किसी भी विनिश्चय में अस्वीकृति के कारणों को लिखित में दर्ज किया जाएगा।

(7) यदि सार्वजनिक इकाई उप-नियम (4) के अधीन अनुमति देने में विफल रहती है या उप-नियम (6) के अधीन आवेदन को अस्वीकार करती है तो ऐसा माना जाएगा कि अनुमति प्रदान कर दी गई है और ऐसे सिस्टम द्वारा सृजित मानद अनुमति स्वतः ही पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी;

(8) सार्वजनिक इकाई स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की स्थापना के लिए स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग के लिए अनुसूची के भाग-3 में विनिर्दिष्ट राशि सुविधा प्रदाता से मुआवजे के रूप में प्राप्त करने की हकदार होगी।

(9) सार्वजनिक इकाई अपने स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन भवनों और अवसंरचनाओं या अन्य सार्वजनिक संपत्ति पर स्मॉल सेल की संस्थापना की भी अनुमति देगी और अनुसूची के भाग-3 में विनिर्दिष्टानुसार ऐसी संस्थापना के लिए कोई प्रशासनिक शुल्क या मुआवजा नहीं लेगी:

परंतु सार्वजनिक इकाई द्वारा ऐसे स्मॉल सेल के संबंध में बिजली की खपत और फिक्स्चर के संबंध में वास्तविक रूप से शुल्क लगाया जाएगा।

(10) सुविधा प्रदाता सार्वजनिक इकाई के विकल्प पर या तो स्मॉल सेल की संस्थापना के दौरान संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान को पुनःस्थापित करेगा या पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर किसी भी ऐसे नुकसान के लिए मुआवजा देगा।

(11) इस नियम के अधीन दी गई किसी अनुमति के अनुसरण में कार्यों के निष्पादन के लिए विनिर्दिष्ट समय-सीमा सार्वजनिक इकाई द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किसी भी अप्रत्याशित घटना की अवधि तक बढ़ाई जाएगी।

#### अध्याय 4

##### सार्वजनिक संपत्ति पर भूमि के ऊपर और भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क दोनों के लिए लागू उपबंध

12. विशेष परियोजनाओं के लिए दूरसंचार नेटवर्क हेतु मार्ग का अधिकार- (1) केन्द्रीय सरकार लोकहित में दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए कतिपय परियोजनाओं को विशेष परियोजनाओं के रूप में अधिसूचित कर सकती है जिनके संबंध में मार्ग के अधिकार का अनुमोदन इस नियम द्वारा शासित होगा।

(2) नियम 7 के उप-नियम (1) अथवा नियम 9 के उप-नियम (1) अथवा नियम 11 के उप-नियम (4) में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी उप-नियम (1) के अधीन अधिसूचित विशेष परियोजना के संबंध में:

(क) नियम 6 के उप-नियम (1) के अधीन भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क अथवा नियम 8 के उप-नियम (1) के अंतर्गत भूमि के ऊपर दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना अथवा नियम 11 के उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की स्थापना के लिए मार्ग के अधिकार के लिए आवेदन पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर स्वीकृत माना जाएगा और ऐसे सिस्टम द्वारा सृजित मानद अनुमति स्वतः ही पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी;

(ख) नियम 6 के उप-नियम (1) अथवा नियम 8 के उप-नियम (1) अथवा उप-नियम (2) के अधीन आवेदनों के संबंध में सार्वजनिक इकाई ऐसे आवेदन की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर पोर्टल के माध्यम से ऐसे

मानद अनुमति के निबंधन और शर्तें तैयार करेगी जो उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित होंगी जो नियम 7 के उप-नियम (2) अथवा नियम 9 के उप-नियम (2) के अधीन दी गई अनुमति होती जैसा भी मामला हो।

(3) सार्वजनिक इकाई इस नियम के अधीन विशेष परियोजनाओं के लिए दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन अथवा रखरखाव हेतु ऐसे एक्सेस के लिए कोई प्रभार, शुल्क, सुआवजा अथवा प्रवेश शुल्क नहीं लगाएगी अथवा किसी भी रूप में कोई अन्य वित्तीय सहायता नहीं मांगेगी।

(4) इस नियम के अधीन अन्यथा उपबंध के अलावा इन नियमों के अन्य सभी उपबंध उपनियम (1) के अनुसरण में अधिसूचित विशेष परियोजनाओं पर लागू होंगे।

**13. कार्य के दौरान सुविधा प्रदाता के दायित्व -** जहां किसी सुविधा प्रदाता को इन नियमों के अंतर्गत मार्ग का अधिकार दिया गया जाता है तो वहां ऐसे सुविधा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि:

- (क) इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट सभी राशियों का भुगतान और सार्वजनिक इकाई से प्राप्त अनुमति के निबंधनों और शर्तों का पालन-
- (ख) भूमि के ऊपर दूरसंचार नेटवर्क की अवसंरचनात्मक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उपायों सहित सार्वजनिक असुविधा को कम करने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों का कार्यान्वयन करना; और
- (ग) ऐसे सुविधा प्रदाता द्वारा जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थितिपरक आसूचना और अन्य उपयुक्त प्रौद्योगिकी के माध्यम से विनिर्दिष्ट तीव्रता पर अद्यतन की गई यथा विनिर्मित सूचना सहित स्थापित सभी भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क से संबंधित अद्यतन डिजिटल सूचना का रखरखाव जिसे पोर्टल के माध्यम से मांग किए जाने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किए गए नामित अधिकारी के साथ साझा और अद्यतन किया जाएगा।

**14. जारी कार्य के संबंध में सार्वजनिक इकाई की शक्तियां -** (1) सार्वजनिक इकाई अनुमति प्रदान करने की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुविधा प्रदाता द्वारा कार्य के निष्पादन की निगरानी या निरीक्षण करने के प्रयोजनार्थ सार्वजनिक इकाई के किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकती है।

(2) संबंधित सार्वजनिक इकाई ऐसी निगरानी और निरीक्षण के आधार पर तथा पोर्टल के माध्यम से सुविधा प्रदाता को उचित नोटिस देने के पश्चात् लिखित में दर्ज करते हुए ऐसी अन्य उचित, सुसंगत और साध्य-आधारित शर्तें निर्धारित कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे।

(3) यदि सुविधा प्रदाता अनुमति प्रदान करने के लिए निबंधों और शर्तों के अनुसार किए जाने वाले अपेक्षित भुगतान नहीं करता है तथा ऐसी समाप्ति के लिए नोटिस जारी करने की तारीख से पंद्रह कैलेंडर दिनों की अवधि के भीतर भुगतान नहीं करता है तो सार्वजनिक इकाई को इस प्रकार दी गई अनुमति को समाप्त करने का अधिकार होगा।

(4) यदि सार्वजनिक इकाई इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि सुविधा प्रदाता ने उप-नियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों के अलावा अनुमति प्रदान करने के किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है तो वह पोर्टल पर सुविधा प्रदाता को नोटिस अपलोड करेगी जिसमें उल्लंघन की गई कथित शर्तों को निर्दिष्ट किया जाएगा और पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर कारण मांगा जाएगा कि उप-नियम (5) के अधीन कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

(5) उप-नियम (4) के अंतर्गत सुविधा प्रदाता के उत्तर, यदि कोई हो, पर समुचित विचार करने के पश्चात् सार्वजनिक इकाई इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मार्ग के अधिकार की अनुमति प्रदान करने की शर्त का उल्लंघन हुआ है तो वह सुविधा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी, यदि कोई हो, को पूर्णतः या आंशिक रूप से भुना सकती है या सुविधा प्रदाता को दी गई अनुमति को वापस ले सकती है या दोनों कर सकती है जिसके कारण लिखित में दर्ज किए जाएंगे और पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।

## अध्याय 5

## सार्वजनिक संपत्ति के अलावा संपत्ति में दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन और रखरखाव

**15. सार्वजनिक संपत्ति के अलावा अन्य संपत्ति में दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना -** (1) कोई भी सुविधा प्रदाता जो अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक संपत्ति के अलावा किसी अचल संपत्ति में प्रवेश करना चाहता है तो उसे पूर्व सहमति से ऐसा करना होगा तथा उस व्यक्ति के साथ करार करना होगा जिसके पास ऐसी संपत्ति का स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन है:

परंतु ऐसा व्यक्ति और सुविधा प्रदाता आपसी सहमति से यह विनिश्चय कर सकेंगे कि अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (3) के अनुसरण में रजिस्ट्री अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के उपबंधों के अंतर्गत करार को रजिस्ट्री कराना चाहता है या नहीं।

(2) उप-नियम (1) के अधीन करार में निम्नलिखित से संबंधित मामलों का उपबंध होगा:

- (क) संपत्ति में सुविधा प्रदाता के प्रवेश का समय और तरीका और इस तरह के प्रवेश के लिए प्रदान की जाने वाली अग्रिम नोटिस, यदि कोई हो;
- (ख) सुविधा प्रदाता द्वारा देय प्रतिफल;
- (ग) संपत्ति को किसी भी तरह की क्षति होने की स्थिति में उठाए जाने वाले कदम जिसमें संपत्ति को उस स्थिति में बहाल करना सम्मिलित है जैसी वह ऐसे क्रियाकलापों के शुरू होने से पहले थी ऐसा न करने पर सुविधा प्रदाता को ऐसी क्षति के लिए पारस्परिक रूप से सहमति के आधार पर मुआवजा देना होगा; और
- (घ) किसी भी असुविधा को कम करने और संरचनात्मक सुरक्षा सहित सुरक्षा बढ़ाने के उपायों के साथ-साथ स्थापित दूरसंचार नेटवर्क के रखरखाव से संबंधित उपायों सहित अन्य शर्तें विनिर्दिष्ट करना।

(3) कोई सार्वजनिक इकाई सार्वजनिक संपत्ति के अलावा अन्य किसी संपत्ति में दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन और रखरखाव के लिए कोई शुल्क, प्रभार या मुआवजा नहीं लगाएगी।

(4) ऐसी संपत्ति पर मोबाइल टावर या पोल की संस्थापना, प्रचालन और रखरखाव के मामले में सुविधा प्रदाता ऐसी स्थापना संबंधी ऐसा कार्य शुरू करने से पहले पोर्टल पर इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप में संबंधित सार्वजनिक इकाई को लिखित में जानकारी प्रस्तुत करेगा जिसमें उस भवन या संरचना का ब्यौरा सम्मिलित होगा जहां मोबाइल टावर या पोल की संस्थापना प्रस्तावित है और साथ ही सार्वजनिक इकाई द्वारा प्राधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा प्रमाणीकरण की एक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी जो उस भवन या संरचना की संरचनात्मक सुरक्षा को प्रमाणित करती है जहां मोबाइल टावर या पोल संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

**16. सार्वजनिक हित में केंद्रीय सरकार द्वारा मार्ग के अधिकार की अनुमति देने की प्रक्रिया-** (1) यदि कोई सुविधा प्रदाता नियम 15 के उप-नियम (1) के अधीन व्यक्ति के साथ किसी सहमति में विफल हो जाता है तो वह संबंधित दस्तावेजों द्वारा समर्थित पोर्टल के माध्यम से जिला कलेक्टर अथवा इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित अन्य प्राधिकृत अधिकारी को जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति स्थित है, यह निर्धारण करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है कि क्या यह सार्वजनिक हित में ऐसे मार्ग के अधिकार के लिए आवश्यक है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर या अन्य प्राधिकृत अधिकारी जैसा भी मामला हो तीस दिनों के भीतर या:

(क) मार्ग के अधिकार की अनुमति के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर देगा; अथवा

(ख) संबंधित संपत्ति पर स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन रखने वाले व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा जिसमें सुविधा प्रदाता द्वारा मांगे गए मार्ग के अधिकार की प्रकृति को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उप-नियम (2) के खंड (ख) के अधीन कोई भी नोटिस ऐसे व्यक्ति को संदेशवाहक द्वारा उसकी एक प्रति सौंपकर और उसकी दूसरी प्रति पर उसके हस्ताक्षर प्राप्त करके दिया जा सकता है।

(4) यदि ऐसी सूचना की तामील उप-नियम (3) के अधीन उचित रूप से संभव नहीं है तो ऐसी सूचना संबंधित व्यक्ति को पावती के साथ उसके ज्ञात निवास पर रजिस्ट्री डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी और ऐसे व्यक्ति को ऐसी रजिस्ट्री डाक या स्पीड पोस्ट की डिलीवरी उस पर ऐसी सूचना की तामील मानी जाएगी और यदि वह ऐसी रजिस्ट्री डाक या स्पीड पोस्ट को प्राप्त करने से इनकार करता है तो रजिस्ट्री डाक या स्पीड पोस्ट पर डाकघर के अधिकारी द्वारा की गई ऐसी इनकार की टिप्पणी उस व्यक्ति पर ऐसी सूचना की तामील मानी जाएगी।

(5) यदि ऐसी सूचना की तामील उप-नियम (3) और उप-नियम (4) के अधीन उचित रूप से संभव नहीं है तो ऐसी सूचना की विषय-वस्तु उस क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र के व्यापक प्रसार वाले किसी प्रमुख समाचार-पत्र दोनों स्थानीय और अंग्रेजी में प्रकाशित की जाएगी जिसमें संबंधित व्यक्ति निवास करता है या व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है और ऐसा प्रकाशन को ऐसे व्यक्ति पर ऐसी सूचना की तामील मानी जाएगी।

(6) उप-नियम (2) के खंड (ख) में संदर्भित व्यक्ति उप-नियम (3) या उप-नियम (4) या उप-नियम (5) के अधीन नोटिस की तामील के पंद्रह कैलेंडर दिनों के भीतर जैसा भी मामला हो मार्ग के अधिकार या शर्तों के संबंध में चिंताओं और आपत्तियों के संबंध में जिनके अधीन मार्ग के अधिकार पर विचार किया जा सकता है के प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए प्रारूप में लिखित रूप में जवाब देगा।

(7) जिला कलेक्टर या अन्य अभिनामित अधिकारी जैसा भी मामला हो उप-नियम (1) के अधीन आवेदन और उप-नियम (6) के अधीन उत्तर पर विचार करने के बाद लिखित आदेश द्वारा यह निर्धारित करेंगे कि दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन और रखरखाव के लिए मार्ग के अधिकार को सार्वजनिक हित में अनुमति दी जानी है या नहीं:

परंतु इस तरह के निर्धारण की समय अवधि उप-नियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों की अवधि से अधिक नहीं होगी।

(8) उपनियम (7) में निर्दिष्ट मार्ग के अधिकार के लिए अनुमति प्रदान करने वाले आदेश में वे निबंधन व शर्तें निर्दिष्ट की जाएंगी जिनके अधीन ऐसी अनुमति प्रदान की जाएगी जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं-

(क) वह क्षेत्र जिसके लिए मार्ग के अधिकार की अनुमति दी गई है और स्थापित किए जाने वाले दूरसंचार नेटवर्क की प्रकृति;

(ख) सुविधा प्रदाता द्वारा देय शुल्क और ऐसे भुगतान का समय और रीति;

(ग) दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के परिणामस्वरूप संपत्ति प्रचालन, अनुरक्षण, बहाल करने और किसी भी नुकसान की मरम्मत करने के लिए सुविधा प्रदाता के दायित्व अथवा ऐसी बहाली या मरम्मत करने में विफलता की स्थिति में देय मुआवजा; और

(घ) अन्य शर्तें जिनमें किसी भी असुविधा को कम करने के लिए समय और उपाय, अथवा सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के उपाय, मार्ग के अधिकार के निष्पादन की रीति, और इस प्रकार स्थापित दूरसंचार नेटवर्क का रखरखाव सम्मिलित है।

### अध्याय 6

#### सामान्य डक्ट और केबल कॉरिडोर

#### 17. सामान्य डक्ट्स और केबल कॉरिडोर के ओपन एक्सेस के लिए निबंधन और शर्तें-

(1) जहां केन्द्रीय सरकार ने अधिनियम की धारा 15 के अधीन कोई अवसंरचना परियोजना या अवसंरचना परियोजनाओं के वर्ग को अधिसूचित किया है तो वहां ऐसी परियोजना पर स्वामित्व, नियंत्रण अथवा प्रबंधन रखने वाली सार्वजनिक इकाई सुविधा प्रदाताओं को ऐसी परियोजना में स्थापित ऐसे सामान्य डक्ट, कन्ड्यूट या केबल कॉरिडोर के माध्यम से दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के प्रयोजन के लिए आवेदन करने में समर्थ बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया उपलब्ध कराएगी।

(2) उपनियम (1) के अनुज्ञप्ति किसी भी आवेदन के साथ निम्नलिखित जानकारी संलग्न की जाएगी:



- (क) दूरसंचार अधिनियम, 2023, अथवा भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा दिया गया अनुज्ञप्ति, अथवा ऐसे प्राधिकरण या अनुज्ञप्ति से छूट के अधीन प्राधिकरण की एक प्रति जो भी लागू हो जिसके संबंध में दूरसंचार नेटवर्क की आवश्यकता है;
- (ख) बिछाए जाने वाले प्रस्तावित भूमिगत या भूमि के ऊपर दूरसंचार नेटवर्क का ब्यौरा;
- (ग) सुविधा प्रदाता की राय में प्रस्तावित कार्य से संबंधित किसी अन्य सुसंगत मामले का ब्यौरा; और
- (घ) केंद्रीय सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्ट किए गए कार्य या उससे संबंधित किसी अन्य मामले का विवरण।

(3) सार्वजनिक इकाई जो अवसंरचना परियोजना या अवसंरचना परियोजनाओं के समूह के लिए उत्तरदायी है, वह दूरसंचार नेटवर्क की संस्थापना के लिए ओपन एक्सेस के आधार पर अर्थात् गैर-भेदभावपूर्ण और नॉन-एक्सक्ल्यूसिव सहित प्रचलित बाजार दरों और न्यूनतम पच्चीस वर्षों की अवधि में लागत वसूली के सिद्धांत के आधार पर शुल्क के भुगतान के अधीन ऐसे सामान्य डक्ट, कन्ड्यूट या केबल कॉरिडोर उपलब्ध कराएगी:

परंतु ऐसे शुल्क उस राशि से अधिक नहीं होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर ऐसी अवसंरचना परियोजना या अवसंरचना परियोजना के समूह के लिए अधिसूचित की जाती है।

#### अध्याय 7

#### विद्यमान दूरसंचार नेटवर्क से संबंधित अधिकार

**18. हटाए जाने आदि की मांग करने का अधिकार-**(1) जहां किसी संपत्ति पर स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन रखने वाला कोई व्यक्ति यह समझता है कि किसी सुविधा प्रदाता द्वारा उस संपत्ति पर संस्थापित भूमि के ऊपर या भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क को हटाना, पुनःस्थापित करना या परिवर्तित करना आवश्यक और समीचीन है तथा उचित कारण से ऐसा करना आवश्यक है तो वह सुविधा प्रदाता को एक नोटिस जारी करेगा जिसमें ऐसे दूरसंचार नेटवर्क को हटाने, पुनःस्थापित या परिवर्तित करने के कारणों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन नोटिस प्राप्त होने पर सुविधा प्रदाता तत्काल तथा तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्ति को दूरसंचार नेटवर्क को हटाने, पुनःस्थापना या परिवर्तन के लिए विस्तृत योजना तथा ऐसे कार्यों के लिए व्यय प्रस्तुत करेगा।

(3) ऐसे दूरसंचार नेटवर्क को हटाने, पुनःस्थापित करने या बदलने की लागत सहित उत्तरदायित्व और दायित्व सुविधा प्रदाता द्वारा वहन किया जाएगा;

परंतु उप-नियम (1) के अधीन आवेदन करने वाला व्यक्ति ऐसे खर्चों को उस मुआवजे से यदि कोई हो चुकाएगा जो ऐसे व्यक्ति ने अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (6) के खंड (ख) या धारा 12 की उप-धारा (4) के अधीन सुविधा प्रदाता से प्राप्त किया हो।

(4) सुविधा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि इस नियम के अधीन ऐसे दूरसंचार नेटवर्क को हटाने, पुनःस्थापित या परिवर्तन से संबंधित कोई भी कार्य उप-नियम (1) के अधीन अनुरोध की तारीख से नब्बे कैलेंडर दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

**19. किसी संपत्ति पर विधिक अधिकार के प्रयोग से निपटने की प्रक्रिया-** (1) कोई भी व्यक्ति जो अपनी संपत्ति पर विधिक अधिकार का प्रयोग इस तरह से करना चाहता है जिससे अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार विधिवत स्थापित किसी भी भूमि के ऊपर अथवा भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क को नुकसान, बाधा या हस्तक्षेप होने की संभावना हो तो वह पोर्टल पर ऐसे विधिक अधिकार के प्रयोग के संबंध में सूचना युक्त एक नोटिस अपलोड करेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होंगे, अर्थात्:

- (क) ऐसा नोटिस देने वाले व्यक्ति का नाम, पता और सुसंगत संपर्क विवरण;

- (ख) विधिक अधिकारों के प्रयोग के विवरण और स्थान के साथ-साथ आरंभ की तारीख और समय;  
 (ग) ऐसे व्यक्ति के अधिकारों के प्रयोग के लिए खुदाई या उत्खनन या अन्य कार्रवाई अपेक्षित क्यों है दूरसंचार नेटवर्क में हस्तक्षेप की संभावना और नियम 18 के अधीन कार्रवाई की आवश्यकता क्यों नहीं है; और  
 (घ) यदि कोई आपातस्थिति हो जिसके लिए शीघ्र प्रतिक्रिया की आवश्यकता हो।

(2) संपत्ति पर दूरसंचार नेटवर्क के प्रचालन और रखरखाव के लिए उत्तरदायित्व सुविधा प्रदाता उप-नियम (1) के अधीन व्यक्ति द्वारा नोटिस अपलोड करने पर, पोर्टल के माध्यम से ऐसी संपत्ति के अधीन या उसके ऊपर या उसके साथ आने वाले दूरसंचार नेटवर्क का विवरण प्रदान करेगा, साथ ही कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा दूरसंचार नेटवर्क को नुकसान से बचने के लिए निम्नलिखित समय-सीमा के भीतर अपेक्षित पूर्वावधानी उपाय लागू किए जाने की आवश्यकता है अर्थात्:

- (क) जहां उप-नियम (1) के अधीन अपलोड किए गए नोटिस में कोई आपात स्थिति विनिर्दिष्ट की गई है वहां चौबीस घंटे से अधिक की अवधि नहीं होगी; या  
 (ख) अन्य सभी परिस्थितियों में उप-नियम (1) के अधीन नोटिस अपलोड करने की तारीख से सात कैलेंडर दिन की अवधि।

(3) इस नियम के अधीन विधिक अधिकारों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति उप-नियम (2) के अधीन सुविधा प्रदाता द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सभी एहतियाती उपायों को लागू करेगा।

(4) उप-नियम (1) के अधीन यदि कोई सुविधा-प्रदाता उप-नियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर नोटिस का उत्तर नहीं देता है, ऐसा नोटिस अपलोड करने वाला व्यक्ति दूरसंचार नेटवर्क के संबंध में यथोचित सावधानी के साथ विधिक अधिकारों का प्रयोग करेगा जिसके ऐसे अधिकारों के प्रयोग से प्रभावित होने की संभावना है।

## 20. नियम 19 के अधीन की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप दूरसंचार नेटवर्क को नुकसान -

(1) नियम 19 के उप-नियम (4) के उपबंधों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना कोई भी व्यक्ति जो उक्त नियम के अधीन विधिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार विधिवत रूप से स्थापित भूमि या भूमि के ऊपर दूरसंचार नेटवर्क को नुकसान पहुंचाता है, सुविधा प्रदाता को ऐसी क्षति के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(1)

(2) प्रभावित दूरसंचार नेटवर्क की मरम्मत और पुनः बहाली के लिए सुविधा प्रदाता द्वारा वहन किए गए व्यय के आधार पर उप-नियम (1) के अधीन क्षति के लिए मुआवजे की राशि की गणना की जाएगी।

(3) इस नियम के अधीन मुआवजे से संबंधित प्रत्येक विवाद का समाधान अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (2) के अनुसार किया जाएगा।

**21. लागू कर, उपकर और उदग्रहण-** अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (3) के उपबंध के अधीन होगी। इन नियमों के अधीन सार्वजनिक इकाई को देय कोई प्रभार वर्तमान में प्रवृत्त विधियों के अंतर्गत लागू करें, उपकरों और उदग्रहण के अतिरिक्त होगा।

**22. निर्वचन:-** स्पष्टता के प्रयोजन के लिए इन नियमों में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "दिन" साधारण खंड अधिनियम, 1897, (1897 के 10) की धारा 10 के उपबंधों और परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 के 36) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी सार्वजनिक अवकाश शामिल होंगे।

## अनुसूची

[नियम 6 (2) (ख), 6 (4), 7 (8) (ख), 7 (9) (ख), 7 (11), 8 (2) (ख), 8 (4), 9 (2) (ख), 9 (8), 10 (6), 11 (3), 11 (8), और 11 (9)]

नियम	मद	राशि
(1)	(2)	(3)
<b>भाग -1: आवेदनों की जांच के लिए शुल्क</b>		
6(2)(ख)	भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क के संबंध में सर्वेक्षण करने के लिए आवेदन की जांच हेतु आवेदन शुल्क	शून्य।
6(4)	भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए आवेदन की जांच के लिए आवेदन शुल्क	भूमि पर अथवा समुद्री सीमाओं में सबमरीन केबलों सहित सभी भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क के लिए प्रति किलोमीटर एक हजार रुपये का एक मुश्त प्रभार।
8(2)(ख)	भूमि के ऊपर दूरसंचार नेटवर्क के संबंध में सर्वेक्षण करने के लिए आवेदन की जांच हेतु आवेदन शुल्क	शून्य।
8(4)	भूमि के ऊपर दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए आवेदन की जांच के लिए आवेदन शुल्क	एक मुश्त प्रभार का विवरण निम्नलिखित हैं: (क) मोबाइल टावर की स्थापना के लिए प्रति टावर दस हजार रुपये; (ख) भूमि के ऊपर दूरसंचार लाइन की स्थापना के लिए प्रति किलोमीटर एक हजार रुपये; और (ग) खंभे लगाने, स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइनों की संस्थापना के लिए शून्य।
11(3)	स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की संस्थापना के लिए स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग हेतु आवेदन की जांच के लिए आवेदन शुल्क	शून्य।
<b>भाग-2 क्षति के लिए मुआवजा या पुनः स्थापन के लिए बैंक गारंटी</b>		
7(8)(ख)	राज्य को संपत्ति की पुनः स्थापन के लिए मुआवजा क्योंकि यह भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क की संस्थापना से पहले विद्यमान थी जहां सार्वजनिक इकाई द्वारा संपत्ति की पुनः स्थापन अपेक्षा नहीं है।	(क) यदि उस क्षेत्र के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई दर निर्धारित नहीं की गई हो तो उस क्षेत्र के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार या उस क्षेत्र के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर सार्वजनिक संपत्ति पुनः स्थापन करने के

नियम	मद	राशि
(1)	(2)	(3)
		<p>लिए आवश्यक राशि;</p> <p>ख) खंड (क) में यथा संदर्भित दर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या लोक निर्माण विभाग द्वारा उनके कार्य के लिए ली जाने वाली दर से अधिक नहीं होगी।</p> <p>परंतु होरिजेंटल डायरेक्शनल डिगिंग प्रक्रिया के माध्यम से भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क बिछाने के मामले में संपत्ति की पुनःस्थापना के लिए मुआवजा केवल गड्डों वाले क्षेत्र तक सीमित होगा।</p>
7(9)(ख)	भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के मामले में निष्पादन के लिए सुरक्षा के रूप में बैंक गारंटी जहां सुविधा प्रदाता के लिए सार्वजनिक इकाई द्वारा नुकसान की भरपाई हेतु उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए वचनबद्ध निर्दिष्ट की गई है।	यदि उस क्षेत्र के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई दर निर्धारित नहीं की गई है तो उस क्षेत्र के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा उस क्षेत्र के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर सार्वजनिक संपत्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए अपेक्षित राशि का बीस प्रतिशत होगी।
9(8)	राज्य को संपत्ति की पुनःस्थापना के लिए मुआवजा जैसा कि वह भूमि के ऊपर दूरसंचार नेटवर्क से पहले विद्यमान थी।	<p>क) यदि उस क्षेत्र के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई दर निर्धारित नहीं की गई है तो उस क्षेत्र के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार या उस क्षेत्र के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा विहित दर के अनुसार सार्वजनिक संपत्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए अपेक्षित राशि।</p> <p>ख) खंड (क) के अंतर्गत संदर्भित दर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वयं के कार्य के लिए ली जाने वाली दर से अधिक नहीं होगी।</p> <p>ग) भूमि के ऊपर दूरसंचार नेटवर्क के मामले में सुविधा प्रदाता स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की संस्थापना के लिए खंभों की स्थापना के मामले में संपत्ति को हुए नुकसान के लिए मुआवजा देगा।</p>
<b>भाग-3 मार्ग के अधिकार के लिए मुआवजा</b>		
7(11)	भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना	शून्य।
9(2)(ख)	भूमि के ऊपर दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना	<p>जहां दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना सार्वजनिक संपत्ति को किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने की संभावना नहीं है सार्वजनिक संपत्ति के मूल्य के लिए मुआवजा या तो एक बार या वार्षिक ऐसी दरों पर मूल्यांकन किया जाता है जैसा कि सार्वजनिक इकाई सामान्य आदेश द्वारा निर्दिष्ट करें।</p> <p>परंतु अन्य सभी मामलों में और स्मॉल सेल और दूरसंचार</p>

नियम	मद	राशि
(1)	(2)	(3)
		लाइन की संस्थापना के लिए खंभे लगाने के लिए क्षतिपूर्ति शून्य होगी।
10(6)	भूमि के ऊपर अस्थायी दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना	शून्य
11(8)	स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की संस्थापना के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग	<p>क) स्मॉल सेल की संस्थापना के लिए: शहरी क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष तीन सौ रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति वर्ष प्रत्येक स्ट्रीट फर्नीचर के लिए एक सौ पचास रुपये; और</p> <p>ख) दूरसंचार लाइन की संस्थापना के लिए: प्रत्येक स्ट्रीट फर्नीचर के लिए प्रति वर्ष एक सौ रुपये।</p> <p>परंतु सार्वजनिक इकाई खंड (क) और खंड (ख) के अधीन जैसा भी लागू हो सुविधा प्रदाता को विनिर्दिष्ट राशि के पांच गुना राशि के समतुल्य समेकित भुगतान के माध्यम से पांच वर्ष की अवधि के लिए अग्रिम रूप से वार्षिक शुल्क के भुगतान का विकल्प प्रदान करें।</p>
11(9)	सार्वजनिक इकाईयों के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन भवन/अवसंरचनाओं पर स्मॉल सेल की संस्थापना के लिए।	शून्य।

[फा. सं. 24-01/2024-यूबीवी]

देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS****(Department of Telecommunications)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th September, 2024

**G.S.R. 576(E).**— Whereas a draft of the Telecommunications (Right of Way) Rules, 2024, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11, read with sub-sections (5) and (6) of section 12, read with sub-section (2) of section 15, read with sub-sections (1) and (2) of section 17, read with clauses (n), (o), (p), (q), (r), and (s) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), was published as required by sub-section (1) of the section 56 of the said Act *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Communication, Department of Telecommunication number G.S.R. 373(E), dated the 9<sup>th</sup> July, 2024, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), dated the 10<sup>th</sup> July, 2024, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 10<sup>th</sup> July, 2024

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11, read with sub-sections (5) and (6) of section 12, read with sub-section (2) of section 15, read with sub-sections (1) and (2) of section 17, read with clauses (n), (o), (p), (q), (r), and (s) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), and in supersession of the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016 and the Indian Telegraph (Infrastructure Safety) Rules, 2022, except as respects things done or omitted to be done before such supersession and without overriding the terms and conditions of existing permissions relating to right of way granted under those rules, which shall continue to apply till the date of expiry of such permissions, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

## CHAPTER I

### PRELIMINARY

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Telecommunications (Right of Way) Rules, 2024.
  - (1)
  - (2) They shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of January, 2025.
2. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires, -
  - (a) "Act" means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);
  - (b) "common ducts" or "conduits" or "cable corridors" shall, either individually or collectively, mean any linear infrastructure of any size for housing utility lines including telecommunication lines;
  - (c) "designated officer" means an officer designated by the Central Government for the purposes of these rules;
  - (d) "duct" means a pipe, permanently lubricated or of any other kind, used as underground cable conduit for telecommunication line;
  - (e) "*force majeure* event" means and is limited to -
    - (i) war or hostilities;
    - (ii) major riots or civil commotion;
    - (iii) earthquake, flood, tempest, lightning or other natural physical disasters; and
    - (iv) restrictions imposed by the Central Government or State Governments;
  - (f) "mobile tower" means any above-ground contrivance, including that which may be dismantled and reassembled at another location, used for carrying, suspending or supporting a telecommunication network, but does not include a pole;
  - (g) "nodal officer" means the nodal officer of the concerned public entity as specified in rule 4 for carrying out the purposes of these rules on behalf of such public entity;
  - (h) "overground telecommunication network" means parts of a telecommunication network or telecommunication equipment established over the ground and includes telecommunication infrastructure that is portable, posts, pole, mobile tower, telecommunication line or other above-ground contrivances, appliances and apparatuses for the purpose of establishment or maintenance of the telecommunication network;
  - (i) "pole" means any above-ground contrivance including mast of height not exceeding thirteen metres for carrying, suspending or supporting a telecommunication network, but does not include a mobile tower;
  - (j) "portal" means the portal to be notified by the Central Government containing the links to one or more digital portals of various public entities;
  - (k) "Schedule" means the schedule annexed to these rules;
  - (l) "small cell" means a cellular radio access node that has a coverage of distance up to two kilometres;
  - (m) "street furniture" means any post or pole used for electricity, street light, traffic light, traffic sign, bus stop, tram stop, taxi stand, public lavatory, memorial, public sculpture, utility pole, metro lines and pillars, sign boards, hoardings, kiosks or any other structure or contrivance of such nature established over the property of public entity;
  - (n) "telecommunication line" means a wire or wires or optical fibre used for telecommunication with

any casing, coating, tube or pipe enclosing the same, and any appliances and apparatuses connected therewith for the purpose of fixing or insulating the same;

(o) "underground telecommunication network" means parts of a telecommunication network or telecommunication equipment established under the ground and includes ducts, manholes, marker stones, hand holes, submarine cables, telecommunication line, appliances and apparatuses for the purposes of establishment or maintenance of the telecommunication network.

(1)

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act, shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. **Application.** – (1) These rules shall apply to permissions for right of way for telecommunication network.

(1)

(2) Any public entity shall exercise the powers under these rules upon an application made by any facility provider seeking right of way for telecommunication network.

(3) All applications, notifications, clarifications, permissions, objections or rejections under these rules, shall be made through the portal to the extent specified under these rules.

4. **Public entity to appoint nodal officer.** - Every public entity shall, within a period of thirty days from the date of notification of these rules, specify its nodal officer on the portal, for the purposes of these rules and any replacement of such officer shall also be specified on the portal by the concerned public entity within a period of seven days of such replacement.

5. **Validity and renewal of permission for right of way.** – The permission for right of way granted to a facility provider in respect of the underlying telecommunication network under these rules shall, unless such permission is terminated in accordance with these rules,—

(a) remain valid for a period coterminous with the term of authorisation or license, or exemption from such authorisation or license, granted or, as the case may be, exempted, by the Central Government; and

(b) continue to be valid for the term of any renewed authorisation or license, or the term of any renewed exemption from authorisation or license, renewed or, as the case may be, exempted, by that Government,

in accordance with the provisions of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), or the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), or the rules made thereunder.

## CHAPTER II

### ESTABLISHMENT, OPERATION AND MAINTENANCE OF UNDERGROUND TELECOMMUNICATION NETWORK IN PUBLIC PROPERTY

6. **Application by a facility provider.** — (1) A facility provider seeking right of way in any public property for the purposes of establishment, operation or maintenance of underground telecommunication network, shall submit an application in such form and manner, as provided on the portal, by the concerned public entity which has ownership, control or management over such public property, along with supporting documents as specified under sub-rule (3), in such form and manner as may be specified by that public entity.

(1)

(2) Where a facility provider requires a survey to be undertaken to enable it to make the application under sub-rule (1)-

the facility provider shall submit an application in such form and manner as provided on the portal by the concerned public entity, for seeking permission to conduct such survey; and

the public entity shall, within seven days of receipt of such application, grant permission for such survey and shall not charge any fee, as specified in Part-1 of the Schedule, to the facility provider for grant of such permission.

(3) The information along with supporting documents to be provided by the facility provider, through the portal, in the application made under sub-rule (1) shall include-

(a) a copy of the authorisation under the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), or license under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), granted by the Central Government, or

exemption from such authorisation or license, as the case may be;

- (b) details of the underground telecommunication network proposed to be laid;
  - (c) if the right of way pertains to existing telecommunication network, a copy of as-built drawings of such telecommunication network;
  - (d) details of the mode of and the estimated duration for execution of the work;
  - (e) details of the estimated time of the day when the work is expected to be done, in case the facility provider expects the work to be done during specific time of the day;
  - (f) details of the estimated expenses the public entity may incur in consequence of the work proposed to be undertaken by the facility provider;
  - (g) details of the inconvenience that is likely to be caused to the public and the specific measures proposed to be taken to mitigate such inconvenience;
  - (h) details of the specific measures proposed to be taken to ensure public safety during the execution of the work;
  - (i) details of the need of facility provider for access to the telecommunication network sought to be established, for operating and maintaining such network;
  - (j) names and contact details of the employees of the facility provider for the purposes of communication in regard to the application made; and
  - (k) details of any other matter relevant, in the opinion of the facility provider, connected with or related to the work proposed to be undertaken.
- (4) Every application under sub-rule (1), shall be accompanied with fee as specified in Part-1 of the Schedule:

Provided that no fee, charge, rent, annuity, or any other financial levy or contribution or compensation in any form, shall be applicable for right of way related to any underground telecommunication network pertaining to any project notified by the Central Government.

7. **Grant of permission by public entity .** — (1) Upon examination of an application received under sub-rule (1) of rule 6, the public entity may-
- (a) seek clarifications or further documents, as may be required, through the portal, within a period of thirty days from the date of receipt of such application:  
Provided that the public entity shall seek all such clarifications and additional documents, if any, in one consolidated requisition; and
  - (b) grant permission within a period of sixty-seven days from the date of receiving the application or proceed in the manner specified in sub-rule (3) and sub-rule (4).
- (1)
- (2) The permission granted by the public entity shall-
- (a) ensure that the area or cross-section of the underground telecommunication network for which right of way is granted shall be the length of duct multiplied by the diameter of the duct multiplied by the number of ducts;
  - (b) specify whether the permission is subject to the undertaking and bank guarantee for restoration of property under clause (a) of sub-rule (8) read with sub-rule (9), or compensation for any damage as specified in clause (b) of sub-rule (8); and
  - (c) specify other conditions including the time, and measures to mitigate public inconvenience or enhance public safety, the mode of execution of the right of way and the conditions relating to the needs of operation and maintenance of the telecommunication network so established:  
Provided that the public entity shall give due consideration to the mode of execution as specified by the facility provider under clause (d) of sub-rule (3) of rule 6.
- (3) Where the public entity has reasons to reject the application for right of way, it shall upload, within a period of forty-five days from the date of receipt of the application, such reasons on the portal and the facility provider shall respond to such reasons on the portal, within a period of fifteen days therefrom.



- (4) The public entity shall, after due consideration of the response of the facility provider under sub-rule (3), decide to either accept or reject the application for right of way and shall upload its decision on the portal within a period of seven days:
- Provided that any decision rejecting the permission for right of way shall record the reasons for rejection, in writing.
- (5) Upon rejection of permission by the public entity, the public entity shall refund to the facility provider ninety per cent of the fee paid under sub-rule (4) of rule 6, within a period of fifteen days from the date of such rejection.
- (6) If the public entity fails to either grant or reject permission within the timelines specified under this rule, the permission shall be deemed to have been granted, and such system generated deemed permission shall be automatically uploaded on the portal.
- (7) In cases of deemed permission issued under sub-rule (6), the public entity shall, within a period of seven days, generate through the portal, the terms and conditions of such deemed permission, which shall be based on the principles under sub-rule (2).
- (8) In order to address any damage to the property as a result of the works relating to the right of way, the facility provider shall, at the option of the public entity,-
- restore such property to the state as it existed prior to the execution of such activities; or
  - pay compensation for such damage as may be mutually agreed, not exceeding the amount as specified in Part-2 of the Schedule.
- (9) A public entity may seek restoration of the property by the facility provider under clause (a) of sub-rule (8) in cases where the grant of permission has been made subject to,-
- the provision of an undertaking as specified in the form available on the portal; and
  - a bank guarantee for an amount, not exceeding the amount specified in Part-2 of the Schedule, as security for performance by the facility provider, within such time as may be specified in the permission.
- (10) The facility provider shall, upon completion of restoration of the property, submit a certificate of such completion on the portal, after consideration of which the public entity shall return to the facility provider the bank guarantee provided under clause (b) of sub-rule (9), within a period of thirty days from such submission.
- (11) The public entity shall not levy any fee, charge, rent, annuity, or compensation or entry fee, for access, or seek any other financial contribution in any form, for the establishment, operation or maintenance of underground telecommunication network, other than those permitted under these rules.
- (12) The timelines specified for the execution of works pursuant to any permission granted under this rule, shall stand extended by the duration of any *force majeure* event as may be notified by the public entity in this behalf.

### CHAPTER III

#### ESTABLISHMENT, OPERATION AND MAINTENANCE OF OVERGROUND TELECOMMUNICATION NETWORK IN PUBLIC PROPERTY

- 8. Application by a facility provider.** — (1) A facility provider seeking right of way in any public property for the purposes of establishment, operation or maintenance of overground telecommunication network, shall submit an application, in such form and manner as provided on the portal by the concerned public entity which has ownership, control or management over such public property along with supporting documents as specified under sub-rule (3).
- (1)
  - (2) Where a facility provider requires a survey to be undertaken to enable it to make the application under sub-rule (1)-
    - (a) the facility provider shall submit an application in such form and manner as provided on the portal by the concerned public entity, for seeking permission to conduct such survey; and
    - (b) the public entity shall, within seven days from the date of receipt of such application, grant

permission for such survey and shall not charge any fee, as specified in Part-I of the Schedule, to the facility provider for grant of such permission.

- (3) The information along with supporting documents to be provided by the facility provider, through the portal, in the application made under sub-rule (1) shall include-
- (a) a copy of the authorisation under the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), or license granted under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), granted by the Central Government, or exemption from such authorisation or license, as the case may be;
  - (b) details of the nature and location, including exact latitude and longitude, of post, mobile tower, portable telecommunication infrastructure or other above-ground contrivances proposed to be established;
  - (c) details of the extent of land or floor space required for establishment of the overground telecommunication network;
  - (d) details of the route plan for the overground telecommunication line, if any;
  - (e) details of the building or structure or location, where the establishment of the overground telecommunication network is proposed;
  - (f) copy of the approval issued by the Central Government for location of the above-ground contrivances proposed to be used for the transmission of radio waves or hertzian waves;
  - (g) details of the mode of and the estimated time duration for execution of the work;
  - (h) details of the inconvenience that is likely to be caused to the public and the specific measures proposed to be taken to mitigate such inconvenience;
  - (i) details of specific measures proposed to be taken to ensure public safety during the execution of the work;
  - (j) details of the need of facility provider for access to the telecommunication network sought to be established, for operating and maintaining such network;
  - (k) details of technical design and drawings of the post or other above-ground contrivances;
  - (l) where applicable, a copy of the certification of the technical design by a structural engineer authorised by a public entity, attesting to the structural safety of the overground telecommunication network;
  - (m) where applicable, copy of the certification by a structural engineer authorised by a public entity, attesting to the structural safety of the building, if the post or other above-ground contrivances are proposed to be established on a building;
  - (n) names and contact details of the employees of the facility provider for the purposes of communication in regard to the application made; and
  - (o) details of any other matter relevant, in the opinion of the facility provider, connected with the work proposed to be undertaken:

Provided that the documents specified in clauses (b), (c), (e), (f), (k), (l) and (m) shall not be required in the event the right of way pertains only for establishment of overground telecommunication line.

- (4) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied with fee as specified in Part-I of the Schedule:

Provided that no fee, charge, rent, annuity, or any other financial levy or contribution or compensation in any form, shall be applicable for right of way related to any overground telecommunication network pertaining to a project notified by the Central Government.

**9. Grant of permission by public entity.** – (1) Upon examination of an application received under sub-rule (1) of rule 8, the public entity may-

- (a) seek clarifications or further documents as may be required, through the portal, within a period of thirty days from the date of receipt of such application:

Provided that the public entity shall seek all such clarifications and additional documents, if any, in one consolidated requisition; and

- (b) grant permission within a period of sixty-seven days from the date of receiving the application or proceed in the manner specified in sub-rule (3) and sub-rule (4).

(1)

(2) The permission granted by the public entity shall-

- (a) ensure that the area of the overground telecommunication network for which right of way is granted, shall be inclusive of the area occupied by the telecommunication network and the supporting infrastructure.

*Explanation.-* For the removal of doubts, it is clarified that—

Where permission for a mobile tower has been granted, the area of the overground telecommunication network shall include the mobile tower as well as supporting infrastructure on the ground, including the base transceiver station and engine alternator;

- (b) specify the amount of compensation to be paid by the facility provider, as may be determined by the public entity in accordance with Part-3 of the Schedule; and
- (c) specify other conditions including the time, and measures to mitigate public inconvenience or enhance public safety, including structural safety of such overground telecommunication network, as well as the mode of execution of the right of way and conditions relating to the needs of operation and maintenance of the telecommunication network so established:

Provided that, the public entity shall give due consideration to the mode of execution as may be specified by the facility provider under clause (g) of sub-rule (3) of rule 8.

- (3) Where the public entity has reasons to reject the application for right of way, it shall upload, within a period of forty-five days from the date of receipt of the application, such reasons on the portal and the facility provider shall respond to such reasons on the portal within fifteen days therefrom.
- (4) The public entity shall, after due consideration of the response of the facility provider under sub-rule (3), decide to either accept or reject the application for right of way and shall upload its decision on the portal within a period of seven days;

Provided that any decision rejecting the permission for right of way shall record the reasons for rejection, in writing.

- (5) Upon rejection of permission by the public entity, the public entity shall refund to the facility provider ninety per cent of the fee paid under sub-rule (4) of rule 8, within a period of fifteen days from the date of such rejection.
- (6) If the public entity fails to either grant or reject permission within the timelines specified under this rule, the permission shall be deemed to have been granted, and such system generated deemed permission shall be automatically uploaded on the portal.
- (7) In cases of deemed permission issued under sub-rule (6), the public entity shall, within a period of seven days, generate through the portal, the terms and conditions of such deemed permission, which shall be based on the principles under sub-rule (2).
- (8) The facility provider shall pay compensation for any damage to the public property resulting from the laying of the overground infrastructure, on terms as may be mutually agreed, not exceeding such amount as specified in Part-2 of the Schedule.
- (9) The public entity shall not levy any fee, charge, rent, annuity, or compensation or entry fee, for access, or seek any bank guarantee or any other financial contribution in any form, for the establishment, operation and maintenance of overground telecommunication network, other than those permitted under these rules.
- (10) The timelines specified for the execution of works pursuant to any permission granted under this rule, shall stand extended by the duration of any *force majeure* event as may be notified by the public entity in this behalf.

**10. Establishment of temporary overground telecommunication network.** – (1) Where any damage is caused to any existing overground or underground telecommunication network, operated and maintained by a facility provider due to any reason, such facility provider may temporarily establish overground telecommunication network on the public property with a view to prompt restoration of the telecommunication service, by providing in writing, the details of the damage, through the portal, to the relevant public entity which has ownership, control or management over such public property:

Provided that for the purpose of establishing such temporary overground telecommunication network in a public property, no permission from the public entity is required.

- (1)
- (2) The facility provider shall ensure restoration of the affected overground or underground telecommunication network within a period of sixty days, but no later than ninety days from the date of reporting of the damage to the public entity.
- (3) Where the Central Government or a State Government, in public interest or in case of special public events, determines the need for the establishment of temporary overground telecommunication network, it shall issue directions-
  - (a) to an authorised entity for establishment of such temporary overground telecommunication network, along with details as regards to-
    - (i) type of such telecommunication network required;
    - (ii) its location as provided by the public entity; and
    - (iii) the duration for which such temporary overground telecommunication network is required to be maintained; and
  - (b) to the relevant public entity to-
    - (i) identify the public property on which such temporary overground telecommunication network may be established; and
    - (ii) provide necessary right of way permissions to the facility provider within the time limits as may be specified in such directions.
- (4) The authorised entity and the public entity shall comply with the respective directions specified under sub-rule (3) to enable establishment of such temporary overground telecommunication network, and the facility provider shall maintain the same for the duration specified under such directions.
- (5) In case the facility provider seeks to use the temporary overground telecommunication network so established pursuant to the directions under sub-rule (3) beyond the period specified in such directions, it shall seek permission of the public entity for such usage and provisions of rules 8 and 9 shall apply *mutatis mutandis*.
- (6) No fee charge, rent, annuity, or any bank guarantee or other financial levy or contribution or compensation in any form, shall be charged by the public entity for the establishment of temporary overground telecommunication network as specified in Part-3 of the Schedule.

**11. Usage of street furniture for installation of small cells and telecommunication line.** – (1) For the purpose of installation of small cells and telecommunication line on any public property, the facility provider shall submit through the portal an application seeking permission, to the relevant public entity which has ownership, control or management over such public property, along with,-

- (a) a copy of the authorisation under the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), or license granted under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), granted by the Central Government, or exemption from such authorisation or license, as the case may be;
  - (b) details of the street furniture; and
  - (c) a copy of certification by a structural engineer authorised by a public entity, attesting to the structural safety of the street furniture upon which the installation of small cells and telecommunication line is proposed.
- (1)
  - (2) The facility provider may submit through the portal, a single application for installation of small cells and telecommunication line for single or multiple sites, at its option, with the information specified under sub-rule (1) and the public entity shall, upon receiving such application, issue a single or multiple permissions, as the

case may be.

- (3) No fee, charge, rent, annuity, or any other financial levy, bank guarantee or other financial contribution or compensation in any form, shall be levied on an application under sub-rule (1) or sub-rule (2) as specified in Part-1 of the Schedule.
- (4) Upon examination of an application received under sub-rule (1) or sub-rule (2), the public entity may-
- (a) seek clarifications or further documents as may be required, through the portal, within a period thirty days from the date of receipt of such application:
- Provided that the public entity shall seek all such clarifications and additional documents, if any, in one consolidated requisition; and
- (b) grant permission within a period of sixty-seven days from the date of receiving the application or proceed in the manner specified in sub-rule (5) and sub-rule (6).
- (5) Where the public entity has reasons to reject the application made under sub-rule (1) or sub-rule (2), it shall upload, within a period of forty-five days from the date of receipt of the application, such reasons on the portal and the facility provider may respond to such reasons on the portal within a period of fifteen days therefrom.
- (6) The public entity may, after due consideration of the response of the facility provider under sub-rule (5), decide to either accept or reject the application, and upload the same on the portal:
- Provided that any decision rejecting the permission shall record the reasons for rejection in writing.
- (7) If the public entity fails to either grant permission under sub-rule (4) or reject the application under sub-rule (6), the permission shall be deemed to have been granted, and such system generated deemed permission shall automatically be uploaded on the portal.
- (8) The public entity shall be entitled to receive compensation from the facility provider, the amount specified in Part-3 of the Schedule for use of street furniture for installation of small cells and telecommunication line.
- (9) The public entity shall also permit the deployment of small cells on buildings and structures or other public property under its ownership, control or management, and shall charge no administrative fee or compensation for such deployment, as specified in Part-3 of the Schedule:
- Provided that charges shall be levied by the public entity in respect of power consumption and fixtures in respect of such small cells, as per actuals.
- (10) The facility provider shall, at the option of the public entity, either restore any damage done to the property during deployment of small cells or pay compensation for any such damage, on the terms as may be mutually agreed.
- (11) The timelines specified for the execution of works pursuant to any permission granted under this rule, shall stand extended by the duration of any *force majeure* event as may be notified by the public entity in this behalf.

#### CHAPTER IV

##### PROVISIONS APPLICABLE FOR BOTH OVERGROUND AND UNDERGROUND TELECOMMUNICATION NETWORK IN PUBLIC PROPERTY

**12. Right of way for telecommunication network for special projects.** – (1) The Central Government may, in public interest, notify certain projects for the establishment of telecommunication network as special projects, the grant of right of way in respect of which, shall be governed by this rule.

2. Notwithstanding anything stated in sub-rule (1) of rule 7 or sub-rule (1) of rule 9 or sub-rule (4) of rule 11, in respect of a special project notified under sub-rule (1),-

- (a) Permission pursuant to an application for right of way for the establishment of underground telecommunication network under sub-rule (1) of rule 6, or overground telecommunication network sub-rule (1) of rule 8, or installation of small cells and telecommunication line under sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 11, shall be deemed to have been granted upon the submission of the application in the portal and such system generated deemed permission shall automatically be uploaded on the portal;
- (b) in respect of applications under sub-rule (1) of rule 6 or under sub-rule (1) of rule 8, the public entity shall, within a period of seven days from the date of such application, generate through the portal the terms and

conditions of such deemed permission, which shall be based on the same principles, had the permission been granted under sub-rule (2) of rule 7 or sub-rule (2) of rule 9, as the case may be.

- (1)
  - (2)
  - (3) The public entity shall not levy any entry fee for access, or any charge, fee, rent, annuity, compensation, bank guarantee or any other financial contribution in any form, for the establishment, operation or maintenance of telecommunication network for special projects, or for restoration of the site where such projects are located, under this rule.
  - (4) Save as otherwise provided under this rule, all other provisions of these rules shall be applicable to special projects notified pursuant to sub-rule (1).
- 13. Obligations of facility provider in undertaking work.** – Where a facility provider has been granted right of way under these rules, such facility provider shall ensure the-
- (a) payment of all amounts as specified under these rules, and adherence to the terms and conditions of the grant of permission from the public entity;
  - (b) implementation of measures to mitigate public inconvenience and ensure public safety, including measures to ensure the structural safety of overground telecommunication network; and
  - (c) maintenance of up-to-date digital information relating to all underground telecommunication network established by such facility provider, including as-built information updated at a frequency as specified by the Central Government, through positional intelligence and other appropriate technology, which shall be shared and updated on demand, through the portal, with the designated officer, as may be notified by the Central Government in this behalf.

**14. Powers of public entity with respect to ongoing work.** – (1) The public entity may, for the purpose of monitoring or inspecting the execution of work by the facility provider to ascertain compliances with the conditions of the grant of permission, authorise an officer of the public entity.

- (1)
- (2) The concerned public entity may, on the basis of such monitoring and inspection, and after providing reasonable notice to the facility provider of the same, through the portal, impose such other reasonable, relevant and evidence-based conditions as it may think fit, to be recorded in writing.
- (3) If the facility provider does not make payments required to be made pursuant to the terms and conditions for grant of permission, and within a period of fifteen days from the date of issuance of the notice for such termination, the public entity shall have the right to terminate the permission so granted.
- (4) If the public entity comes to the conclusion that the facility provider has violated any of the conditions for grant of permission, other than as specified under sub-rule (3), it shall upload on the portal a notice to the facility provider, specifying the conditions alleged to have been violated and call upon the facility provider to show cause within a period of fifteen days, as to why action should not be taken under sub-rule (5).
- (5) Upon due consideration of the response of the facility provider, if any, under sub-rule (4), the public entity concludes that there has been a violation of the condition for grant of permission of right of way, it may encash, in full or in part, the bank guarantee, if any, submitted by the facility provider pursuant to sub-rule (9) of rule 7, or withdraw the permission granted to the facility provider, or both, for reasons to be recorded in writing and uploaded on the portal.

## CHAPTER V

### ESTABLISHMENT, OPERATION AND MAINTENANCE OF TELECOMMUNICATION NETWORK IN PROPERTY OTHER THAN PUBLIC PROPERTY

**15. Establishment of telecommunication network in property other than public property.** – (1) Any facility provider desiring to enter any immovable property other than public property, for the purposes specified under sub-section (2) of section 12 of the Act, shall do so with the prior consent and enter into an agreement with the person who has ownership, control, or management over such property:

Provided that such person and the facility provider may mutually decide whether to get the agreement registered under the provisions of the Registration Act, 1908 (16 of 1908), pursuant to sub-section (3) of section 14 of the Act.

- (1)
- (2) An agreement under sub-rule (1) shall provide for matters relating to-
  - (a) the time and manner of entry of the facility provider into the property, and advance notice, if any, to be provided for such entry;
  - (b) the consideration to be payable by the facility provider;
  - (c) the steps to be taken in the event of any damage to the property, including restoration of the property to its state as it existed prior to the undertaking of such activities, failing which, the facility provider shall pay compensation for such damage as may be mutually agreed; and
  - (d) specify other conditions including measures to mitigate any inconvenience and enhance safety, including structural safety, as well as measures relating to maintenance of the telecommunication network so established.
- (3) A public entity shall not levy any fees, charges, rent, annuity, compensation, or require any bank guarantee or any other financial contribution, for the establishment, operation and maintenance of telecommunication network in property other than public property.
- (4) In the case of establishment, operation and maintenance of mobile tower or pole over such property, the facility provider shall, prior to commencement of such establishment, submit information in writing, in the form provided for this purpose on the portal, to the concerned public entity along with details of the building or structure where the establishment of the mobile tower or pole is proposed, and a copy of certification by a structural engineer authorised by a public entity, attesting to the structural safety of the building or structure where the mobile tower or pole is proposed to be established.

**16. Manner of permitting right of way by Central Government in public interest.-** (1) If a facility provider fails to reach an agreement with the person under sub-rule (1) of rule 15, it may submit an application through the portal, along with the supporting documents to the District Collector or other designated officer as may be notified by the Central Government in this behalf, within whose jurisdiction the property is situated, for a determination as to whether such right of way is necessary in public interest.

- (1)
- (2) Upon receipt of an application under sub-rule (1), the District Collector or other designated officer, as the case may be, shall within thirty days, either-
  - (a) reject the application for permission of right of way; or
  - (b) provide notice to the person having ownership, control or management over the relevant property, specifying the nature of right of way sought by the facility provider.
- (3) Any notice under clause (b) of sub-rule (2), may be served on such person by a messenger in-person by handing over such notice and obtaining his signature on a copy thereof.
- (4) In case, the service of such notice is not reasonably possible under sub-rule (3), then, such notice shall be sent to the concerned person by registered post with the acknowledgment or by speed post at his known residence and the delivery of such registered post or speed post to such person shall be the service on him of such notice and in case he refuses to receive such registered post or speed post, the remarks of such refusal by a post office official on the registered post or speed post shall be deemed to be the service on such person of such notice.
- (5) In case, the service of such notice is not reasonably possible under sub-rules (3) and (4), then the contents of such notice shall be published in a leading newspaper, both in vernacular and in English, having wide circulation in the area or jurisdiction in which the concerned person resides, or carries on business, or personally works for gain, and such publication shall be deemed to be the service of such notice on such person.
- (6) The person referred to in clause (b) of sub-rule (2), shall within fifteen days of the notice being served under sub-rule (3) or sub-rule (4) or sub-rule (5), as the case may be, may respond in writing in the form provided for this purpose, as regards the concerns and objections to the right of way, or conditions subject to which right of way may be considered.
- (7) The District Collector or other designated officer, as the case may be, shall after taking into consideration the application under sub-rule (1) and the responses under sub-rule (6), determine by order in writing, whether

right of way for establishing, operating and maintaining the telecommunication network is to be permitted in public interest:

Provided that the time period for such determination shall not ordinarily exceed a period of sixty days from the date of receipt of the application under sub-rule (1).

- (8) The order referred to in sub-rule (7) granting permission for right of way shall specify the terms and conditions subject to which such permission is granted, including but not limited to-
- (a) the area over which the right of way is permitted and the nature of telecommunication network to be established;
  - (b) the charges payable by the facility provider and the time and manner of such payment;
  - (c) the obligations of the facility provider to operate, maintain, restore and repair any damage to the property resulting from the establishment of the telecommunication network, or compensation to be payable in the event of failure to undertake such restoration or repair; and
  - (d) other conditions including the time and measures to mitigate any inconvenience, or measures to enhance public safety, the mode of execution of right of way, and maintenance of the telecommunication network so established.

#### CHAPTER VI

##### COMMON DUCT AND CABLE CORRIDOR

**17. Terms and conditions for open access of common ducts and cable corridors.**— (1) Where the Central Government has notified an infrastructure project or class of infrastructure projects under section 15 of the Act, the public entity having ownership or control or management over such project shall provide for an online application process to enable facility providers to make an application for the purpose of installation of telecommunication network through such common duct or conduit or cable corridor established in such project.

(1)

(2) Any application under sub-rule (1) shall be accompanied by information including-

- (a) a copy of the authorisation under the Telecommunication Act, 2023 (44 of 2023), or license under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), granted by the Central Government, or exemption from such authorisation or license, as applicable, in respect of which the telecommunication network is required;
  - (b) details of the underground or overground telecommunication network proposed to be laid;
  - (c) details of any other matter, in the opinion of the facility provider, connected with the work proposed to be undertaken; and
  - (d) details of any other matter connected with or related to the work as may be specified, through a general or special order, by the Central Government.
- (3) The public entity which is responsible for the infrastructure project or class of infrastructure projects, shall make available such common ducts or conduits or cable corridors for the installation of telecommunication network, on an open access basis, that is, non-discriminatory and non-exclusive, subject to payment of charges based on prevailing market rates and the principle of cost recovery over a minimum period of twenty-five years:

Provided that such charges shall not exceed the amount as may be notified by the Central Government from time to time for such infrastructure project or class of infrastructure projects.

#### CHAPTER VII

##### MISCELLANEOUS PROVISIONS

**18. Right to seek removal, etc.**— (1) Where any person having ownership or control or management over a property, considers that it is necessary and expedient and for a reasonable cause, to remove, relocate or alter the overground or underground telecommunication network that has been placed by a facility provider upon that property, such person shall issue a notice to the facility provider specifying the reasons for seeking removal, relocation or alteration of such telecommunication network.

(1)



- (2) On receipt of the notice under sub-rule (1), the facility provider shall, forthwith, and within a period of thirty days, proceed to submit, to such person, a detailed plan for such removal, relocation or alteration, and the expense for such works.
- (3) The responsibility and liability, including the cost for removal, relocation or alteration of such telecommunication network shall be borne by the facility provider: Provided that the person issuing notice under sub-rule (1) shall defray such expenses from the compensation, if any, that such person may have received from the facility provider under clause (b) sub-section (6) of section 11, or sub-section (4) of section 12 of the Act.
- (4) The facility provider shall ensure that any works relating to removal, relocation or alteration of such telecommunication network under this rule, shall be completed within a period of ninety days from the date of receipt of notice under sub-rule (1) to the facility provider.

**19. Procedure for exercising legal right to deal with property.** — (1) Any person desiring to exercise legal right to deal with his property in such manner as is likely to cause damage to, or interrupt, or interfere with, any overground or underground telecommunication network duly placed in accordance with the provisions of the Act and these rules, shall upload on the portal, a notice containing the information with respect to exercise of such legal right, which shall include the following details, namely:-

- (a) name, address and relevant contact details of the person desiring to exercise his legal rights;
- (b) date and time of starting the work, as well as description and location, for the exercise of such legal right;
- (c) the reasons why digging, or excavation or other action is required for the exercise of such legal right, the likelihood of interference with the telecommunication network, and why action under rule 18 is not required; and
- (d) the presence of emergency, if any, that requires an expeditious response.

(1)

- (2) The facility provider responsible for the operation and maintenance of the telecommunication network on the property, shall, on uploading of notice by the person under sub-rule (1), provide through the portal, the details of telecommunication network falling under or over or along such property, as well as precautionary measures that are required to be implemented by the person undertaking the works, in order to avoid damage to the telecommunication network, within the following timelines, namely:-

(a) where any emergency has been specified in the notice uploaded under sub-rule (1) a period not exceeding twenty-four hours; or

(b) in all other situations, a period of seven days from the date of uploading of the notice under sub-rule (1).

- (3) The person exercising legal rights under this rule shall implement all precautionary measures as specified by the facility provider under sub-rule (2).
- (4) Where the facility provider fails to respond to notice under sub-rule (1), within the timelines specified under sub-rule (2), the person uploading such notice, shall undertake the exercise of legal rights with reasonable precautions with regard to the telecommunication network that is likely to be impacted by the exercise of such rights.

**20. Damage to telecommunication network resulting from action under rule 19.** — (1) Without prejudice to the provisions of sub-rule (4) of rule 19, a person who in exercise of legal rights under the said rule causes damage to an underground or overground telecommunication network duly placed in accordance with the provisions of the Act and these rules, shall be liable to pay compensation for such damage to the facility provider.

- (2) The quantum of compensation for damage under sub-rule (1) shall be computed based on expenses incurred by the facility provider in undertaking repair and restoration of the affected telecommunication network.
- (3) Every dispute relating to compensation under this rule shall be addressed in accordance with sub-section (2) of section 18 of the Act.

**21. Applicable taxes, cess and levies.**- Subject to the provisions of sub-section (3) of section 14 of the Act, any charge payable to the public entity under these rules shall be exclusive of taxes, cess and levies as applicable under laws for the time being in force.

**22. Interpretation.**- For the purposes of clarity, expression "days" used in these rules shall, subject to the provisions of section 10 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and period of limitation provided under the provisions of the Limitation Act, 1963 (36 of 1963), include all public holidays.

### SCHEDULE

[See rules 6(2)(b), 6(4), 7(8)(b), 7(9)(b), 7(11), 8(2)(b), 8(4), 9(2)(b), 9(8), 10(6), 11(3), 11(8) and 11(9)]

Rule (1)	Item (2)	Amount (3)
<b>Part-1: Fee for examining applications</b>		
6(2)(b)	Application fee for examining of the application to undertake a survey in respect of underground telecommunication network	Nil.
6(4)	Application fee for examining of the application for establishment of underground telecommunication network	One time charge of one thousand rupees per kilometre for all underground telecommunication network including submarine cables on land or in territorial waters.
8(2)(b)	Application fee for examining of the application to undertake a survey in respect of overground telecommunication network	Nil.
8(4)	Application fee for examining of the application for establishment of overground telecommunication network	One time charge as specified below: (a) ten thousand rupees per tower for establishment of mobile towers; (b) one thousand rupees per kilometre for establishment of overground telecommunication line; and (c) nil for establishment of poles, for installation of small cells and telecommunication line.
11(3)	Application fee for examining of the application for usage of street furniture for installation of small cells and telecommunication line	Nil.
<b>Part-2 Compensation for damage or bank guarantee for restoration</b>		
7(8)(b)	Compensation for restoration of property to the state as it existed prior to the establishment of underground telecommunication network where undertaking to restore the property is not required by the public entity.	(a) Sum required to restore public property as per the rate prescribed by central public works department for that area or as per the rate prescribed by state public works department for that area, if no rate has been prescribed by the Central Public Works Department for that area. (b) The rate as referenced in clause (a) shall not exceed the rate charged by the Central Public Works Department or the public works department for its own work: Provided that in case of laying of underground telecommunication network through horizontal directional digging method, the compensation for restoration of property shall be limited to the area of the pits only.
7(9)(b)	Bank guarantee as security for performance in case of establishment of underground telecommunication network where undertaking is specified by the public entity for the facility provider to discharge the responsibility to restore the	Twenty per cent of the sum required to restore public property as per the rate prescribed by the Central Public Works Department for that area or as per the rate prescribed by the State public works department for that area, if no rate has been prescribed by central public works department for that area.

Rule	Item	Amount
(1)	(2)	(3)
	damages	
9(8)	Compensation for restoration of property to the state as it existed prior to the establishment of overground telecommunication network.	(a) Sum required to restore public property as per the rate prescribed by the Central Public Works Department for that area or as per the rate prescribed by the State public works department for that area, if no rate has been prescribed by the Central Public Works Department for that area. (b) The rate referenced under clause (a) shall not exceed the rate charged by the Central Public Works Department or the public works department for its own work. (c) In case of overground telecommunication network, the facility provider shall restore the damage to the property incurred in case of establishment of poles for installation of small cells and telecommunication line.
<b>Part-3 Compensation for right of way</b>		
7(11)	Establishment of underground telecommunication network	Nil.
9(2)(b)	Establishment of over ground telecommunication network	Where the establishment of the telecommunication network renders the public property unlikely to be used for any other purpose, compensation for the value of the public property, either once or annually, assessed on such rates as that public entity may, by general order, specify.  Provided that in all other cases and establishment of poles for installation of small cells and telecommunication line, the compensation shall be nil.
10(6)	Establishment of temporary over ground telecommunication network	Nil.
11(8)	Usage of street furniture for installation of small cells and telecommunication line	(a) For installation of small cells: Three hundred rupees per annum for urban area and one hundred and fifty rupees per annum for rural areas per street furniture; and (b) For installation of telecommunication line: One hundred rupees per annum per street furniture. Provided that the public entity shall provide the facility provider the option of payment of annual fees in advance for a period of five years, through a consolidated payment equal to five times the amounts specified under clause (a) and clause (b), as applicable.
11(9)	For the deployment of small cells on building or structures under the ownership, control or management of public entities.	Nil.

[F. No. 24-01/2024-UBB]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.